राजस्थान सरकार

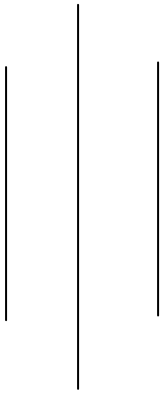

वार्षिक प्रतिवेदन
2013–2014

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

विषय सामग्री	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण विकास	
पृष्ठभूमि	**1**
योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण	**1**
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	**3**
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	**7**
सामाजिक अंकेक्षण	**14**
इंदिरा आवास योजना	**16**
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**21**
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**23**
डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	**25**
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)	**28**
(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं	
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**31**
मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	**41**
ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	**42**
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**44**
स्व–विवेक जिला विकास योजना	**46**
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**47**
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना	**49**
(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	
राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना (आर.आर.एल.पी.)	**51**
मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)	**55**
बायोफ्यूल प्राधिकरण	**59**
(द) निगरानी तंत्र	**62**
(य) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	**65**
(र) अन्य	
बीपीएल सेंसस 2002	**70**
राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची	**71**
सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)	**72**
पंचायती राज	
I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाऐं एक दृष्टि में	**74**
II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण	**74**
III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	**77**
IV जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत	**78**
V नवगठित 11पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण	**78**
VI जिला परिषदों परिसर में जन सुविधा भवनों का निर्माण	**79**
VII विभागीय प्रकाशन	**80**
VIII जनप्रतिनिधियों की जांच	**80**

IX वित्तीय प्रबन्ध	**80**
1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच	**82**
2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	**82**
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	**83**
IX पंचायती राज की योजनाएं	
1. तेरहवां वित्त आयोग	**83**
2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	**86**
3. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन	**86**
4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम	**88**
5. राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना	**88**
6 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	**89**
7. पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि	**89**
8. नवाचार निधि योजना	**90**
9. क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन	**90**
10. विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना	**91**
11. पंचायत सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS)	**91**
12. निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम)	**92**
13. निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	**96**
14. जनता जल योजना	**96**
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड–डे मील कार्यक्रम)	**98**
जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	**105**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पृष्ठभूमि

देश के चहुंमुखी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ठ योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया गया। 1 अप्रेल, 1999 से इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास विभाग''** किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग''** है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास की योजनाएं शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज के माध्यम से किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्यवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) स्वरोज़गार द्वारा गरीबी उन्मूलन

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (आरआरएलपी)
- मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

(ब) रोज़गार सृजन द्वारा गरीबी निवारण

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

(स) क्षेत्रीय विकास द्वारा "गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन" निवारण

- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(द) ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना कार्य

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना
- स्व–विवेक जिला विकास योजना
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

(य) गरीब/शोषित हेतु कल्याण योजनाएं

- इन्दिरा आवास योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

(र) अन्य

- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

परिचय

- एसजीएसवाई की गहन समीक्षाओं से ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधतायें; लाभार्थियों में अपर्याप्त क्षमता निर्माण; सामुदायिक संस्थान बनाने के लिये अपर्याप्त निवेश और बैंकों के साथ कम सम्पर्क जिसकी वजह से ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है तथा बारंबार वित्त पोषण जैसी अनेक कमियों का पता चला है। अनेक राज्य समर्पित मानव संसाधनों एवं उपयुक्त सुपुर्दगी प्रणालियों की कमी की वजह से एसजीएसवाई के अन्तर्गत मिली निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएं हैं। एसएचजी परिसंघों जैसी समूह संस्थाओं की अनुपस्थिति में निर्धन परिवार उत्पादकता संवर्धन, विपणन संपर्क, जोखिम प्रबन्धन आदि के लिये उच्च श्रेणी की सहायक सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
- इसी पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। एनआरएलएम में एसजीएसवाई के महत्वपूर्ण पहलूओं पर ध्यान दिया गया है और इसमें देश में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए अनुभवों की प्रमुख सीखों को समाविष्ट किया गया है।

एनआरएलएम मिशन

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनों की सशक्त एवं स्थाई संस्थाएं बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करना है जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरन्तर आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

एनआरएलएम मार्गदर्शी सिद्धान्त

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।
- निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिये उनकी सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिये एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।
- जानकारी का प्रचार–प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने से वे स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

एनआएलएम का नैतिक मूल्य

एनआरएलएम के अन्तर्गत सभी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य निम्नानुसार हैः–

- अत्यन्त निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यन्त निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।

- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
- सभी स्तरों– नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।
- सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

दृष्टिकोण

- गरीबों के क्षमता निर्माण, सहायता और आजीविका सुदृढ़ करने के लिये एनआरएलएम गरीबों की अन्तर्निहित क्षमता का उपयोग करेगा, उनके क्षमता (जानकारी, ज्ञान, कौशल, साधन, वित्त और समेकन) निर्माण में सहयोग करेगा ताकि तेजी से बदलती दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एनआरएलएम तीन मामलों पर कार्य करेगाः– गरीबों की आजीविका मौजूदा विकल्पों की वृद्धि एवं विस्तार, बाजार के बाहर रोजगार बाजार के लिये कौशल विकास और स्वनियोजित व्यक्तियों और उद्यमियों को सहयोग।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं

(अ) सामाजिक अन्तर्वेशन और जनसंख्या

1. सर्वव्यापी सामाजिक जागरण
2. जन संस्थाओं को बढ़ावा
3. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण
4. परिक्रामीनिधि और पूंजीगत सब्सिडी
5. सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन
6. ब्याजगत सब्सिडी उपलब्ध कराना

(ब) आजीविका

1. विविध आजीविका
2. अवसंरचना सृजन और विपणन सहायता
3. कौशल एवं नियोजन परियोजनाएं
4. ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
5. नई पहल

(स) तालमेल एवं सहभागिता

1. अन्य विभागों/कार्यक्रमों के साथ तालमेल
2. गैर–सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन स्तरों पर सहभागिता। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ प्रत्यक्षतः अथवा निर्धनों की संस्थाओं के माध्यम से सहभागिता।
3. पंचायती राज संस्थाओं या पारंपरिक स्थायी ग्राम संस्थाओं के साथ लिंकेज।

(द) संवेदनात्मक सहायता

1. बाह्य संवेदनात्मक सहायता स्वरूप
2. तकनीकी सहायता
3. निगरानी तथा शिक्षण
4. वित्तपोषण पद्धति
5. चरणबद्ध कार्यान्वयन

6. एनआरएलएम को लागू करना
7. एनआरएलएम की कार्यसूची

राज्य में एनआरएलएम के क्रियान्वयन की स्थिति

परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी.) के माध्यम से करवाई जायेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फैडरेशन एवं प्रोडूसर ऑर्गेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेंगे।

परियोजना का क्षेत्र

परियोजना राज्य के कुल 191 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें 24 ब्लॉकों का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एन.आर.एल.पी.) के अन्तर्गत किया गया है जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन

परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा किया जावेगा। राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाईवलीहुड से संबंधित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 29.09.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियां

- परियोजना क्रियान्वयन हेतु डॉक्यूमेन्ट तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन प्लान (एस.पी.आई.पी.), वित्तीय, प्रोक्योरमेन्ट, कम्युनिटी आपरेशनल एवं एच.आर. मैन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
- परियोजनान्तर्गत कुल 25187 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। कुल 3021 स्वंय सहायता समूहों का गठन/कॉ–ऑप्शन कर 168 स्वयं सहायता समूहों को ट्रेन्च–1 दिया जा चुका है।

रिसोर्स ब्लॉक स्ट्रेटेजी

- बी.आर.एल.पी.एस. पटना के साथ एन.आर.एल.पी. के 5 रिसोर्स ब्लॉकों (बालेसर, बेगूं, केकड़ी, पिण्डवाड़ा एवं पाली) में सीआरपी प्रदान करने हेतु एम.ओ.यू. किया जाकर स्वयं सहायता समूह गठन एवं कॉ–आप्शन का कार्य प्रगति पर है।
- 3 रिसोर्स ब्लॉकों (बालेसर, बेगूं एवं केकड़ी) में 2 सी.आर.पी. राउन्ड पूर्ण हो चुके है एवं इन ब्लॉकों में तीसरा राउन्ड 31.01.2014 से प्रारम्भ किया जा चुका है।
- कुल 700 स्वयं सहायता समूहों को गठन किया जा चुका है।

इन्टेन्सिव ब्लॉक स्ट्रेटेजी

- एन.आर.एल.पी. के अन्तर्गत 2 ब्लॉक (छोटी सरवन एवं पीपलखूंट) एवं एन.आर. एल.एम. के अन्तर्गत 4 ब्लॉक (जवाजा, रामगढ़, थानागाजी एवं राजगढ़) इन्टेन्सिव ब्लॉक के रूप में चिन्हित किये गये हैं जिनमें कुल 630 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

माह मार्च, 2014 तक की कार्य योजना

- 8616 स्वयं सहायता समूहों का गठन/कॉ–आप्शन।
- 6890 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना।
- 102 ग्राम संगठनों का गठन/कॉ–आप्शन।
- कुल 1700 स्वयं सहायता समूहों का ट्रांच–1 एवं 900 स्वयं सहायता समूहों को ट्रांच–2 उपलब्ध करवाया जायेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)

परिचय

- भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अनुसार अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया गया हैं।
- राजस्थान में 2 फरवरी, 2006 से प्रथम चरण में 6 जिलें यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही, झालावाड़ एवं उदयपुर में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- द्वितीय चरण में दिनांक 01.04.2007 से यह योजना राज्य के अन्य 6 जिलें यथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, जालोर एवं सवाईमाधोपुर में प्रारंभ की गई।
- तृतीय चरण में यह योजना राज्य के शेष रहे सभी जिलों में 1 अप्रेल, 2008 से प्रारंभ की गई।

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का गारण्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है।
- ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करना, जिससे आजीविका में वृद्धि हो।
- गांवों के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना।
- महिलाओं का सशक्तीकरण।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना।
- सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान की मुख्य विशेषताओं का सारांश निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी एनआरईजीएस को कानूनी दायरे के तहत कार्यक्रम बनाकर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- योजना संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, अतः समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र है।

- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना आवश्यक है जिसके लिए ऐसे परिवार को लिखित या मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा।
- समुचित जांच के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को जॉब कार्ड जारी किया जाता है जिसमें परिवार के ऐसे सदस्य जो कि अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है एवं जिनका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है, का नाम एवं फोटो लगा होता है। यह फोटोयुक्त जॉब कार्ड आवेदक को निशुल्क दिया जाता है।
- यह योजना पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित योजना नही होकर एक मांग आधारित योजना है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की मांग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम भी 100 दिवस का रोजगार प्रति परिवार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
- आवेदन में परिवार के किस–किस सदस्य द्वारा एवं किस अवधि में रोजगार करना चाहते है, का विवरण अंकित किया जाकर, रोजगार की मांग कम से कम 15 दिवस के लिए लिखित रूप से आवेदन किया जाना आवश्यक है। आवेदन मांग प्रपत्र (फार्म नं. 6) अथवा सादे कागज पर उक्त विवरण के साथ ग्राम पंचायत को किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति को आवेदन किया जा सकता है।
- कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के लिए किया जा सकता है।
- योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की विशेष भूमिका निर्धारित की गयी है तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्य इन्ही के माध्यम से कराने का प्रावधान है।
- योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारों को प्रतिबन्धित किया गया है।
- योजनान्तर्गत ऐसे कार्य जो मानव श्रम से संभव है, को मशीनों से कराने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है।
- यदि किसी परिवार की मांग पर उसे रोजगार उपलब्ध नही कराया जाता है तो निर्धारित दरों के अनुसार परिवार के हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- योजनान्तर्गत पंचायतराज संस्थाओं विशेष रूप से ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका मानी गयी है। इस योजनान्तर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा/ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गांव के विकास के लिए कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते है।
- योजनान्तर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- आवेदको को यथा संभव उनके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यस्थल की दूरी उक्त दायरे से दूर होने की स्थिति में उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।
- योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर छाया हेतु शेड, पेयजल, आवश्यक दवाईयां एवं क्रैच की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा सम्पादित टास्क के आधार पर किया जाता है।
- योजनान्तर्गत मजदूरों को सम्पादित कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से अथवा 15 दिवस की अवधि में करना अनिवार्य है। मजदूरी का भुगतान संबधित श्रमिक के बैंक/पोस्ट आफिस के खाते में ही किया जाता है।
- योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि में भुगतान नही करने पर श्रमिक मजदूरी के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है।
- पुरूष एवं महिलाओं के लिए मजदूरी एक समान है।
- योजनान्तर्गत अधिनियम में वर्णित अनुमत कार्य ही कराए जा सकते है एवं इसके लिए प्रत्येक जिले को परियोजनाओं की एक सूची (वार्षिक कार्य योजना) तैयार किया जाना आवश्यक है।
- परियोजनाओं की सूची ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर ही बनाई जाती है।
- कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, पालना आदि व्यवस्थाएं किया जाना अनिवार्य है।
- ग्राम सभा द्वारा 6 माह में एक बार कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।
- कार्यस्थल पर दुर्घटना होने के कारण घायल होने पर श्रमिक का निशुल्क चिकित्सीय उपचार कराए जाने का भी प्रावधान है। यदि श्रमिक के साथ आए बालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए भी निशुल्क चिकित्सीय उपचार का प्रावधान है।
- दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा देने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित है। श्रम मद में 60 प्रतिशत से अधिक व्यय योजनान्तर्गत किया जा सकता है। सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में यह व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए यह अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर तथा अन्य कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों के लिए यह अनुपात पंचायत समिति स्तर पर संधारित किया जाना अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा कार्यों के लिए सभी आवश्यक सामग्री राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के उपयोग के द्वारा ही क्रय की जायेगी।
- प्रत्येक जिले में शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने एवं आदेश पारित करने के लिए एक आम्बड्सपर्सन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियुक्त किया जायेगा।

योजनान्तर्गत अनुमत कार्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.01.2014 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 एवं 2 में किये गये परिवर्तन के उपरान्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्न कार्य योजनान्तर्गत कराया जाना अनुमत है :–

I. **प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण**
(Public works relating to Natural Resources Management)

i. पेयजल स्त्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्वि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

ii. जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य;

iii. सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज–1, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण;

iv. सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरूज्जीवन।

v. पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक, रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सडक सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी तथा;

vi. सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

II. **प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल नोट में वर्णित गृहस्थी के लिए)**
(Individual Assets for vulnerable sections{only for Households as stated in note)

i. भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;

ii. उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना;

iii. इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि का विकास;

iv. इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंन्द्रिय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक;

v. कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना; और

vi. मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्सय पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्सयपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना;

III. प्रवर्ग–इ : एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(Common Infrastructure for NRLM compliant Self Help Groups)

i. जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी है, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म; और

ii. स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला;

IV. **प्रवर्ग–ई : ग्रामीण अवसंरचना** (Rural Infrastructure)

i. विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलु शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनबाडी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता;

ii. असंबद्व ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकताउपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी है, का निर्माण;

iii. खेल के मैदानों का संनिर्माण;

iv. आपदा तैयारी में सुधार करना या सडकों का जीर्णोद्वार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अंतर्गत बाढ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्वार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्वार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म;

v. ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनबाडी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण;

vi. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण;

vii. अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन;

viii. अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव; और

ix. कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

- संकर्म की प्राथमिकता का क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय हैं, पुनरावृतीय हैं जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं, जो नहीं की जाएंगी।

नोट :– व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से संबंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी;

(क) अनुसूचित जाति
(ख) अनुसूचित जनजाति
(ग) घुमन्तु जनजाति
(घ) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां
(ड) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब
(च) महिला प्रधान वाले कुटुंब
(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब
(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही
(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही
(त्र) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहीयों को खाली करने के पश्चात् कि कुटंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरंभ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में संशोधन कर यह भी प्रावधान किया गया है कि योजनान्तर्गत सामग्री मद में व्यय की 40 प्रतिशत की सीमा को ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जावे।

वित्त पोषण

केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निम्न व्यय वहन किया जाता है

1. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत,
2. सामग्री मद जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है, का 75 प्रतिशत,
3. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय (वर्तमान में यह योजनान्तर्गत होने वाले कुल व्यय का 6 प्रतिशत है),

राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निम्न व्यय वहन किया जाता है

1. सामग्री मद (जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है) का 25 प्रतिशत।
2. 15 दिन में रोजगार नहीं दिये जाने पर बेरोजगारी भत्ता,
3. एस.ई.जी.सी. पर किया गया व्यय।

वर्ष 2013–14 की उपलब्धियाँ

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार तथा राज्य की सहरिया, खरूआ एवं कथौडी जनजाति परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अपने संसाधनों से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को रू. 2100/– की राशि स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया एवं इसके तहत 4.09 लाख परिवारों को उक्त राशि उपलब्ध करायी गयी।

उपलब्धि (दिसम्बर, 2013 तक)

● जारी जॉबकार्ड की संख्या	99,11,043
● परिवारों की संख्या जो कार्य पर उपस्थित हुए	29,69,391
● सृजित मानव दिवस ▪ कुल ▪ अनुसूचित जाति द्वारा ▪ अनुसूचित जनजाति द्वारा ▪ महिलाओं द्वारा	 1176.64 लाख 235.40 लाख (20%) 326.83 लाख (28%) 791.19 लाख (67%)
● प्रति परिवार उपलब्ध कराए रोजगार दिवस	40
● 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	1,43,919
● व्यय राशि ▪ कुल ▪ श्रम मद ▪ सामग्री मद ▪ प्रशासनिक	 रू. 2,02,116.57 लाख रू. 1,36,416.45 लाख रू. 52,030.96 लाख रू. 13,669.16 लाख

सामाजिक अंकेक्षण

- महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे है, क्योंकि पिछले सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कमी महसूस की गई है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरुप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उसका फॉलोअप करना आदि कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जा सकी है, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
- **सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका :–** सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को सरल भाषा में विस्तार से समझाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका, 2012 का प्रकाशन किया गया। इससे सामाजिक अंकेक्षण कार्य में संलग्न कम पढ़े–लिखे ग्रामीण व्यक्तियों का महात्मा गांधी नरेगा कार्यों एवं इससे संबंधित रिकॉर्ड एवं लेखों की जांच में सहयोग मिलेगा एवं महात्मा गांधी नरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त होगा। यह मार्गदर्शिका योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोगी है।
- **सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण वृत्तचित्र :–** सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण पर बल दिया जाना आवश्यक है। इस क्रम में सामाजिक अंकेक्षण समितियों में संलग्न संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम सभा को प्रशिक्षण में सहयोगी उपकरण के रुप में सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण (वृत्तचित्र) फिल्म तैयार कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में भेजी गई।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति

- **वर्ष 2013–14 में सामाजिक अंकेक्षण :–** प्रथम चरण दिनांक 22.04.13 से 30.06.13 तक 7976 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा चुका है। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभाओं की रिपोर्ट्स में से कुल 6229 ग्राम सभाओं की रिपोर्ट्स अपलोड की गई है।
- **आंतरिक अंकेक्षण :–** राज्य स्तर पर गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में

कार्यों के आंतरिक अंकेक्षण हेतु राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर एक अंकेक्षण दल गठित किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2011 द्वारा सभी जिलों में एक आंतरिक अंकेक्षण दल गठित किया गया है। आंतरिक अंकेक्षण के लिए प्रत्येक जिले पर एक कुल 33 लेखाधिकारी के पद स्वीकृत किये गए है। जिला स्तर पर गठित प्रत्येक आंतरिक अंकेक्षण दल में एक लेखाधिकारी, एक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता स्तर) तथा एक लेखाकार/क0 लेखाकार होंगे, सहायक अभियन्ता एवं लेखाकार/क0 लेखाकार वर्तमान में जिला परिषद् में उपलब्ध/स्वीकृत पदों में से उपलब्ध करवाये जाने है।

- वर्ष 2013–14 में 10 जिलों में लेखाधिकारी कार्यरत रहे जिनके द्वारा आंतरिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। राज्य की कुल 9177 ग्राम पंचायतों में से उक्त आंतरिक अंकेक्षण दलों को आंतरिक अंकेक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जिले की पंचायत समितियो में Alphabatical Order से चयनित ग्राम पंचायतों का आंतरिक अंकेक्षण का कार्यक्रम दिया गया है। इस कार्यक्रम को देते समय उन ग्राम पंचायतों को जिनका राज्य स्तर पर (जिले की सर्वाधिक व्यय वाली ग्राम पंचायत) विशेष जांच हो चुकी है तथा लोक लेखा समिति के निर्देशों पर प्रत्येक पंचायत समिति की सर्वाधिक व्यय वाली पंचायतों की जिला स्तर पर विशेष जांच की जा चुकी/जा रही है, को आंतरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में शामिल नही किया गया है।
- वर्ष 2013–14 की आंतरिक अंकेक्षण की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

	वर्ष 2013–14
आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की संख्या	250
कुल वसूली योग्य राशि	925.77 लाख
कुल वसूल की गई राशि	1.40 लाख

इन्दिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

परिचय

- मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है और बेहतर जीवन यापन का आधार वह घर है जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती हों। अपना घर होने से व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मकान के स्वामित्व से बीपीएल परिवार का बुनियादी आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें प्रगति करने की इच्छा पैदा होती है जो गरीबी उपशमन के लिए बेहद जरूरी है।
- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम एक उप योजना के रूप में 1985–86 में शुरू हुई थी जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 1 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। वर्ष 1999–2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोड़ा गया है। वर्ष 1999–2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारम्भ की गई जो इंदिरा आवास योजना का ही एक भाग है।

उद्देश्य

- इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल की स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक एवं अन्य जाति के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण/क्रमोन्नत में मदद करना है।

वित्त पोषण एवं संसाधनों का आवंटन

(क) इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत वित्तपोषण पद्धति केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर है। वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा आवंटन मानदण्ड को संशोधित करते हुए राज्यों के लिये आवंटन हेतु आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्ता दी जा रही है। जिलों को आवंटन करते समय आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचितजाति/जन जाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है। जिला स्तर से पंचायतों को आवंटन करते समय आवासों की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचित जाति/जनजाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है।

(ख) 1 अप्रैल, 2013 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 70,000/– रूपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000/– रूपये प्रति इकाई है। राजस्थान राज्य में सभी जिलों में नवीन आवास निर्माण हेतु 70,000/– रूपये की सहायता

उपलब्ध कराई जा रही है। सभी क्षेत्रों के लिए, मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा 15000/– रूपये है।

(ग) नवीन आवास हेतु इकाई अनुदान के अतिरिक्त DRI योजना में इच्छुक लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000/– रूपये तक का ऋण भी उपलब्ध है।

प्रमुख प्रावधान

(क) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों एवं अधिकतम 25 प्रतिशत अन्य जाति के पात्र परिवारों के आवासों पर व्यय का प्रावधान है। उक्त सभी श्रेणियों के विकलांग पात्र परिवारों के आवासों पर 3 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है।

(ख) बी.पी.एल. सेन्सस–2002 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम से स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, मरम्मत न किये जा सकने वाले मकानों के उन्नयन की अत्यावश्यकता है। अतः 1.4.2004 से कुल निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने और ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऋण–सह–सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चें मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए प्रति इकाई 15000/–रू. की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है। ऋण सह–सब्सिडी के अंतर्गत रू. 12,500/– की सहायता दी जाती है एवं अधिकतम 50,000/–रू. का ऋण लिया जा सकता है।

(घ) मकान को निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आवंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से आंवटित किया जा सकता है। तथापि, केवल उस स्थिति में पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष को मकान आवंटित किया जा सकता है। जहां पात्र महिला सदस्य नहीं है/जीवित नहीं है।

(ड.) प्रत्येक आईएवाई मकान में सेनिटरी लैटरीन और धुंआ रहित चूल्हा और उपयुक्त ड्रेनेज की आवश्यकता है। आईएवाई मकान से अलग, लाभार्थी की जगह पर ही शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। आवास का निर्माण करना लाभार्थी की ही जिम्मेदारी है। आई.ए.वाई. मकान निर्माण के लिए ठेकेदारों को शामिल करना पूर्ण रूप से निषेध है। आई.ए.वाई. मकान के लिए किसी विशेष डिजाइन का निर्धारण नहीं किया गया है परन्तु लाभार्थी को न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्र का आवास बनाना आवश्यक है। आई.ए.वाई. मकान के निर्माण हेतु डिजाइन, प्रौद्योगिकी, तकनीक और सामान का चयन करना लाभार्थी का विवेकाधिकार है।

(च) इन्दिरा आवास के लाभार्थी द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराये जाने पर उसे इन्दिरा आवास की इकाई अनुदान के अतिरिक्त **''निर्मल भारत अभियान''** एवं **''महात्मा गांधी नरेगा''** से स्वच्छ शौचालय का अनुदान देय है।

विशेष परियोजनाएं

आई.ए.वाई. आवंटन की 5 प्रतिशत निधियां केन्द्रीय स्तर पर आरक्षित रखी गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन निधियों का उपयोग करने के लिये विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों का पुनर्वास।
2. हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों का पुनर्वास।
3. मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों को बसाने की परियोजनाएं।
4. विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों को बसाने की परियोजनाएं।
5. नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की परियोजनाएं – विशेषकर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी पर जोर।

नई पहलकदमियां और अवसर

- उपर्युक्त और पात्र बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, बीपीएल जनगणना–2002 के परिणामों के आधार पर ग्राम पंचायतवार पात्र परिवारों की स्थाई आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार की जा चुकी है तथा इसके वरीयता क्रम के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस स्थाई प्रतीक्षा सूची को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित किया गया है तथा विभाग की वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर भी उपलब्ध है। इस कदम से लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी अथवा अनाचार को दूर किया जा सकेगा।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी स्वीकृतियां Online Awaas Soft से जारी की जा रही हैं।
- आवास के साथ स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (TSC) अर्थात निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत निर्मित किये जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई अनुदान सहायता राशि रूपये 3200/– के स्थान पर दिनांक 01.04.2012 से बढ़ाकर रूपये 4600/– की गई है।
- उक्त शौचालय निर्माण का कन्वर्जेन्स ''महात्मा गांधी नरेगा'' से किया गया है जिसके तहत रूपये 5400/– की अधिकतम अतिरिक्त सहायता राशि मस्ट्रोल के आधार पर देने का प्रावधान है। इस प्रकार आवास अनुदान सहायता के अलावा शौचालय निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम अतिरिक्त सहायता लगभग रूपये 10,000/– (रूपये 4600 + रूपये 5400) देय है।
- योजनान्तर्गत सभी श्रेणी में 3 प्रतिशत विकलांग पात्र परिवारों एवं पात्र अल्प संख्यकों की श्रेणी में 15 प्रतिशत लक्ष्यों की सीमा में इनको लाभान्वित करने हेतु आईएवाई की स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता में शिथिलता प्रदान की गई है।

उपलब्धियां

- राजस्थान राज्य में आईएवाई योजना के शुरू होने से वर्ष 2012–13 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 9.97 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है। गत 5 वर्षों में आईएवाई के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दिये अनुसार है –

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	निर्मित/उन्नयित मकान (संख्या)
2008–09	47350	52386
2009–10	91670	86992
2010–11	63362	63464
2011–12	157596	125647
2012–13	88825	83466

- योजनान्तर्गत 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार से कुल 51170.80 लाख रूपये की प्राप्तियों के विपरीत कुल 40751.95 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- 2013–14 में आईएवाई योजना के अंतर्गत राज्य में 85460 नए मकान बनाये जाने के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 2013 तक 39728 मकानों का निर्माण किया गया है तथा 115270 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2013–2014 के लक्ष्यों की स्वीकृतियां आई.ए.वाई. की प्रतीक्षा सूची के आधार पर ही जारी की गई है।
- 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 40751.95 लाख रूपये में से 28459.66 लाख रूपये अनु.जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर व्यय किये गये हैं। माह दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु व्यय का प्रतिशत 69.83 प्रतिशत है।
- वर्ष 2012–13 में योजनांतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 219 मकान बनाये गये है। वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये 106 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

निगरानी

- सभी जिलों को आईएवाई योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मासिक और वार्षिक प्रगति रिर्पोट भेजनी होती है। इन रिपोर्टो के प्रपत्र में अनु.जाति/जनजाति घटक, महिला लाभार्थियों की कवरेज, धूंआ रहित चूल्हों और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था, शारीरिक रूप से अपंग लाभार्थियों की कवरेज आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण ब्यौरे दिये जाते हैं। वित्तीय निगरानी स्वतः समवर्ती प्रक्रिया है जो उपयोग प्रमाण–पत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टो आदि, जो निधियों की रिलीज का आधार होती है, के माध्यम से की जाती हैं। राज्य स्तर पर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति होती हैं और जिला तथा ग्रामीण स्तर पर भी सतर्कता और निगरानी समितियां हैं।

- इन्दिरा आवास योजना की कियान्विति, मोनिटरिंग एवं निगरानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा Awaas Soft से की जाती है।
- जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों के माध्यम से भी योजना की मोनिटरिंग की जाती है।
- मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और वे समय–समय पर दौरे करते है और आई.ए.वाई. सहित सभी योजनाओं के फील्ड स्तर के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
- राज्य स्तर से समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रगति समीक्षा की जाती है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.पी.एल.ए.डी.)

परिचय

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 में प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग के विकास कार्यो को कियान्वित कराये जाने हेतु 200.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष आवंटित किये जाते थे। वर्ष 2011–12 से यह आवंटन रू. 200.00 लाख से बढ़ाकर रू. 500.00 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

कार्यक्षेत्र

- राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्य सभा सदस्यों के क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हैं।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू है।
- निर्माण कार्यो का कियान्वयन पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/रेपूटेड गैर सरकारी संस्था, जो जिला कलक्टर की निगाह में कार्य कराने में सक्षम हो, से कराया जा सकता हैं।
- इस योजनान्तर्गत आवृति व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।
- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंषित कर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात् इन कार्यों की कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार जांच कर कार्य करवाये जाते हैं।
- सांसदों द्वारा देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी भूकम्प, तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यों हेतु की जा सकती है।
- देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित जिले के लिये अधिकतम 50.00 लाख रूपये के कार्यों की अभिशंषा कर सकते हैं।
- यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिससे वह चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में करना चाहता है तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रूपये शिक्षा एवं

संस्कृति से सम्बन्धित कार्य जो मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं है का चयन कर सकता है।

- योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अभिशंषा करने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित लाभार्थी संस्था की होगी।
- योजना के तहत सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 75 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।

योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्यो की सूची निम्नानुसार हैं :–

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रष्ठिान/इकाई शामिल हो ।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली संपत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोडकर सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य।
6. किसी भी केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति।
8. केन्द्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोडकर सभी चल वस्तुओं की खरीद। (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)।
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ।
10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य।

शेष कार्य दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार संचालित कराये जा सकते हैं।

उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत रूपये 16505.23 लाख व्यय कर 3898 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2013 तक 9722.69 लाख रूपये व्यय कर 2947 कार्य पूर्ण किये गये।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(बी.ए.डी.पी.)

परिचय

- देश की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 14 विकास खण्डों शिव, बाडमेर, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, सम, कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, घडसाना, रायसिंहनगर, व अनूपगढ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिये शत–प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती हैं। गृह मंत्रालय (बी.एम.) भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किये गये हैं जो फरवरी, 2009 से प्रभावी है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लागों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं ।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों को, 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिले को एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती हैं।

विशेषताएं

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेष इकाई होता है एवं समस्त कार्य विकास खण्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किये जाते हैं।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता हैं।
- योजना में सामाजिक सैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित कार्यो पर बल दिया जाता हैं।
- सुरक्षा संबंधी कार्य भी कराये जा सकते हैं लेकिन आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र मे उपयोग किया जा सकता हैं।
- पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सडक एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यो पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती हैं।

- कुल आवंटन की 5 प्रतिशत राशि क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण पर व्यय की जायेगी।
- वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती हैं। कार्यो का सम्पादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/पंचायती राज संस्थाएं/जिला कोन्सिल/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता हैं।

उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 में इस कार्यक्रम के तहत 13800.00 लाख रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है जिसके विरुद्ध 15176.25 लाख रूपये व्यय किये गये हैं जिनसे 1314 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 5212.11 लाख रूपये व्यय कर 700 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना

परिचय

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जो अब जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रूप में कार्यरत है, विभाग के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय संस्था है। शुरूआत से अब तक, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटन के एक निश्चित प्रतिशत को अलग रखते हुए उससे डी.आर.डी.ए. एजेन्सियों के लिए प्रशासनिक लागत की पूर्ति की जाती थी। तथापि, जिला स्तर पर गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक प्रभावकारी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिला ग्रामीण विकास एजेसियों के सुद्वढीकरण के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस येाजना के अंतर्गत डी.आर.डी.ए./जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की संस्थापन लागत की पूर्ति केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर की जाती है।

उद्देश्य

- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्देश्य जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को व्यावसायिक स्वरूप देना है ताकि वे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) से आशा की जाती है कि वे राजकीय विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ तकनीकी संस्थाओं के साथ प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें, जिससे कि जिले में गरीबी को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता और संसाधनों को जुटाया जा सकें।

संगठनात्मक ढांचा

- राज्य के प्रत्येक जिले में जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) कार्यरत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके प्रमुख अधिकारी है, जो भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते है।
- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एक ऐसी विशिष्ट एजेंसी के रूप में उभरा है, जो एक ओर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रबन्ध कर सके और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी उपशमन के लिए किए जा रहे प्रयासों से जोड सकें।
- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की भूमिका, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने, प्रगति का पर्यवेक्षण/निरीक्षण और निगरानी करने, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और भेजने तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधियों के लेखों के रख–रखाव की है।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

स्टाफ पद्धति

- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की स्टाफ पद्वति में गरीबी उपशमन के लिए योजना बनाना, परियोजना निर्माण, सामाजिक संगठन और क्षमता निर्माण, इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, बही खाता एवं लेखा–परीक्षा कार्य तथा मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन से संबंधित पद शामिल है।

  प्रत्येक जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में निम्नलिखित खण्ड हैः–

  (i) स्वरोजगार खंड,

  (ii) मजदूरी रोजगार खंड,

  (iii) इंजीनियरिंग खंड,

  (iv) लेखा खंड,

  (v) निगरानी एवं मूल्यांकन खंड, और

  (vi) सामान्य प्रशासन खंड ।

प्रशासनिक खर्च

- प्रशासनिक व्यय हेतु जिलों को ब्लाक की संख्या के आधार पर श्रेणी में बांटा गया है। जिसके लिये जिला प्रशासनिक लागत निम्न प्रकार निर्धारित हैः–

'क'	श्रेणी के जिले (6 से कम ब्लॉक)	46 लाख रूपये
'ख'	श्रेणी के जिले (6–10 ब्लॉक)	57 लाख रूपये
'ग'	श्रेणी के जिले (11–15 ब्लॉक)	65 लाख रूपये
'घ'	श्रेणी के जिले (15 से अधिक ब्लॉक)	67 लाख रूपये

- उपर्युक्त सीमा वर्ष 1999–2000 से लागू है। मुद्रास्फीति और इसी तरह की अन्य बातों से निपटने के लिए इस सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत तक की चक्रवृद्वि आधार पर वृद्वि की जाती है।

कार्मिक नीति

- कर्मचारियों का बेहतर चयन और स्टाफ पद्वति में लोच सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।
- राज्य स्तर पर परियोजना निदेशकों एवं परियोजना अधिकारियों तथा जिला स्तर पर परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा समस्त

तकनीकी पदों पर सिद्व क्षमता और प्रेरणा वाले अधिकारी होते हैं जिन्हें चयन समितियों द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है।

वित्तपोषण पद्धति

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को केन्द्र और राज्यों में 75:25 के आधार पर बांटा जाता है।

निधियों की रिलीज

- योजना के अंतर्गत जिला परिषदों को केन्द्रीय सहायता सीधे दो किश्तों में, कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप रिलीज की जाती है। स्टाफ लागत का 30 प्रतिशत तक आकस्मिक खर्चो के लिए खर्च किए जाने की अनुमति है। निधियों का 10 प्रतिशत राज्य मुख्यालय द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति है। राज्य की हिस्सा राशि भी इसी अनुरूप में जारी की जाती है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 में केन्द्र सरकार से रूपये 2181.60 लाख एवं राज्य सरकार से रूपये 727.20 लाख अर्थात कुल रूपये 2908.80 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध रूपये 4157.42 लाख व्यय किये गये।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक रूपये 2341.89 लाख व्यय किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)
(A Public Private Partnership (PPP) Scheme)

परिचय

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान **''ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)''** योजना केन्द्रीय योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना को आर्थिक कार्य विभाग की सहायता तथा एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत (पंचायतों) तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी स्वरूप के अन्तर्गत कार्यान्वित करने की योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार का ढ़ाचा उपलब्ध कराने और परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं सेवाओं की सुपुर्दगी में निजी क्षेत्र की दक्षता बढाने की कोशिश की जायेगी।
- इस योजना के कार्य क्षेत्र में चुनिंदा पंचायतों/पंचायतों के समुहों में निर्धारित सेवा स्तरों तक जीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करना शामिल जो 10 वर्ष के लिये उपर्युक्त सुविधाओं के रखरखाव के लिये जिम्मेदार होगें। समुदाय–आधारित सुविधाओं सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबन्धन में अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र इकाईयों का चयन, उचित योग्यताओं एवं मूल्यांकन मापदण्ड पर आधारित खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। चयनित निजी क्षेत्र भागीदारों को जल आपूर्ति एवं जल निकासी, सड़कों, नालियों, ठोस अपशिष्ठ पदार्थों के प्रबन्धन, सड़क रोशनी तथा विधुत वितरण जैसी सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी और पुरा योजना की एक भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास कार्यकलाप निष्पादित करने होंगे। उक्त सुविधाओं के अलावा ग्रामोन्मुख पर्यटन, एकीकृत ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार, कृषि सम्बन्धी सेवा केन्द्र तथा गोदाम आदि जैसी राजस्व अर्जक अतिरिक्त सुविधायें भी प्रदान की जा सकती हैं।

योजना का मिशन और उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण क्षेत्र के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिये आजिविका अवसर और शहरी सुविधायें मुहैया कराकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिये ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के समुह में) में सम्भावित विकासकेन्द्र के चारों और सघन क्षेत्र का व्यापक एवं त्वरित विकास।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण–शहरी अन्तर को दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

कार्यनीति

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)– पुरा के उद्देश्यों को ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के फ्रेमवर्क के तहत हासिल करने का प्रस्ताव है। पुरा की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना से निधियों का बड़ा हिस्सा लिया जायेगा तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तालमेल के जरिये अतिरिक्त सहायता जुटाई जाएगी।

नियोजन

- पुरा योजना शुरू करने के लिये चुने गये निजी भागीदार लगभग 25000–40000 की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत/भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ी ग्राम पंचायतों की समूह का निर्धारण करेंगे एवं उनमें अपेक्षित सुविधाओं के विकास की योजना बनाएगें।

निर्धारित आधारभूत एवं शहरी सुविधाएं

- पुरा के अन्तर्गत दी जाने वाली आधारभूत एवं शहरी सुविधाओं तथा प्रस्तावित आर्थिक कार्यकलापों की सूची निम्नानुसार हैः–

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं/क्रियाकलाप (अनिवार्य)

1. जल और सीवरेज
2. ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रखरखाव
3. नालियां
4. ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन
5. कौशल विकास
6. आर्थिक क्रियाकलापों का विकास

(ख) अन्य मंत्रालयों की योजनाओं (गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं) के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं –

7. ग्रामीण स्ट्रीट लाईटिंग
8. दूरभाष
9. बिजली आदि

(ग) एड–ऑन परियोजनाएं (राजस्व आय जन केन्द्रित परियोजनाएं) –

10. ग्रामीण पर्यटन
11. समेकित ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार
12. कृषि – साझा सेवा केन्द्र, वेयरहाउसिंग
13. कोई अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित परियोजना

भूमि की उपलब्धताः– पुरा परियोजना का एक आवश्यक घटक भूमि की उपलब्धता है। सार्वजनिक सुविधाओ के लिये भूमि, ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राईवेट डेवलपर का चयनः– ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योग्य (Qualified) पाये गये कुल चयनित 11 कार्य प्रस्तावों में से राज्य के लिये M/s IL&FS द्वारा जयपुर एवं राजसमन्द जिले के लिये प्रस्तुत दो प्रस्तावों का चयन किया गया है।

अब तक की गई कार्यवाही

- पुरा योजना हेतु दोनों जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा बैंक खाता खुलवाया जा चुका है जिसमें भारत सरकार से दिनांक 30.3.2011 को जिला परिषद जयपुर को 10.71 करोड रूपये तथा राजसमन्द को 9.12 करोड रूपये की राशि एवं दिनांक 15.12.2011 को जिला परिषद जयपुर को 14.56 करोड रूपये तथा राजसमन्द को 12.40 करोड रूपये अर्थात जिला परिषद जयपुर को कुल 25.27 करोड रूपये तथा राजसमन्द को कुल 21.52 करोड रूपये की राशि रिलीज की जा चुकी है।
- M/s IL&FS द्वारा संशोधित डीपीआर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।
- वर्तमान में जयपुर जिले की पंचायत समिति सांगानेर की 5 ग्राम पंचायतों (नेवटा, पंवालिया, कपूरावाला, अजयराजपुरा एवं भापुरा) तथा राजसमन्द जिले की पंचायत समिति खमनोर की 5 ग्राम पंचायतों (टांटोल, उनवास, मोलेला, खमनोर एवं उपालीओडन) ही चयन क्षेत्र में है।
- दिनांक 21.12.2011 को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार जिसमें M/s IL&FS के साथ Concession Agreement and State Support Agreement किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई अन्तिम डीपीआर के सम्बन्ध में राज्य की टिप्पणी/सहमति चाही है। राज्य के विभिन्न विभागों जिनकी योजनाऐं पुरा के माध्यम से लागू की जानी है, इन योजनाओ की सैद्धान्तिक स्वीकृति/सहमति विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2013 को पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमन्द के संबंध में प्रस्तुत डीपीआर पर सशर्त स्वीकृति जारी की है। इस संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वाटर सप्लाई की स्कीम में आवश्यक संशोधन किया जाना है जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी शामिल है तद्उपरान्त भारत सरकार, राज्य सरकार व पंचायतों के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कराएं जायेंगे

(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएँ

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

परिचय

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' नाम से योजना आरम्भ की गई है। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1999–2000 में प्रत्येक विधायक महोदय 25.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिये अधिकृत थे जिसे बढ़ाकर वर्ष 2000–2001 में प्रति विधायक 40 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2001–2002 से यह राशि बढ़ाकर 60.00 लाख रूपये, वर्ष 2007–08 से 80.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2010–11 से योजनान्तर्गत प्रावधान प्रति विधायक प्रतिवर्ष 100.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2012–13 से 200.00 लाख रू. प्रति विधायक प्रतिवर्ष किया गया है।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय विधायक महोदय की अभिशंषा पर जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाना तथा क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करना है। स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में लागू हैं।
- निर्माण कार्य पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा/विशेष विधि के तहत गठित निगम, बोर्ड एवं अभिकरण द्वारा कराया जा सकता हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं/पंजीकृत ट्रस्ट/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था के द्वारा कार्यो के क्रियान्वयन कराने के लिये संस्था द्वारा कार्य की लागत का कम से कम 30 प्रतिशत अंश भागीदारी के रूप में देना आवश्यक हैं।
- वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व में निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों की मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।
- कुछ शर्तो के साथ गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट के लिये 10.00 लाख रूपये तक की लागत की परिसम्पतियों का निर्माण योजनावधि में कराया जा सकता हैं

बशर्ते प्रस्तावकर्ता विधायक उस संस्था की कार्यकारिणी का सदस्य अथवा ट्रस्ट का सदस्य नहीं हों।

- योजना के तहत विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।
- पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य कराये जाने पर कार्य की मूल लागत की कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी दी जायेगी। लेकिन इस प्रावधान से विद्यालय विकास समिति को उसी राजकीय विद्यालय परिसर के अन्दर विकास कार्य कराने हेतु कार्यकारी संस्था नियुक्त की जाती है तो उसे भागीदारी की राशि 30 प्रतिशत जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रत्येक वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिये आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर अनुशंषित करना अनिवार्य होगा।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले अनुमत कार्यो की सूची

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–

1. समग्र ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
2. पेयजल के कार्य ।
3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सडक (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खरंजा एवं नाली निर्माण ।

नोटः– सी.सी. रोड संबंधी समस्त कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के अनुसार ही की जावेगी।

4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
5. (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन ।
   (ब) शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर/अध्ययन– अघ्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी।
   (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाये कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
   (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।
6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट सडक के कार्य ।
7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/डिसिल्टींग का कार्य ।
8. पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।
9. गांवों के सम्पर्क सडकों/रास्तो के लिये पुलिया/रपट का कार्य ।
10. पर्यटन विकास के कार्य, पुरातात्विक महत्व के स्थलों/स्मारकों/भवनों का नवीनीकरण, मरम्मत एवं विकास कार्य ।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)एमएलए/ग्रुप–6/2000/पार्ट–।। दिनांक 16.1.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)

11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।

12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य ।

13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स।

(1) भवन एवं उपकरण सबसेन्टर से जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/एमएलए/ग्रुप–6/2011/ पार्ट–।। दिनांक 17.7.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

(ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते (मोबाईल) दवाखानों की व्यवस्था।

(स) रेड क्रोस/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बुलेन्स।

(द) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सालयों में वेन्टीलेटर व अन्य उपकरणों की स्वीकृति हेतु राज्य के समस्त माननीय विधायकगण राशि की अभिशंषा कर सकते हैं।

(य) विकलांगों को ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरण अनुमत होंगे। ये राजकीय विभागों एवं पंजीकृत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से शिविरों में वितरित किये जायेंगे। गैर सरकारी संस्थाओं के प्रकरण में दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.8(द) के अनुसार 30 प्रतिशत सहयोग राशि ली जायेगी।

इन प्रावधानों के तहत लगाये जाने वाले शिविरों हेतु बैनर का प्रारूप निम्न होगाः–

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकलांगों को
ट्राई साईकिल / उपकरण वितरण शिविर

स्थान ..... दिनांक .....

विधानसभा क्षेत्र ..... विधायक श्री .....
राशि.....
सहयोगी संस्था.....(एन.जी.ओ./विभाग का नाम)

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)एमएलए/ग्रुप–6/99/पार्ट–। दिनांक 30.8.2010 को प्रतिस्थापित किया गया)

14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य।

15. पुस्तकालयभवन/बसस्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/खेल मैदान/वाल्मिकी भवन /सामुदायिक भवन

15.1 (1) सामुदायिक भवनों का निर्माण केवल राजकीय भूमि पर किया जावें। किसी व्यक्ति/संस्था या समुदाय द्वारा समर्पित भूमि पर निर्माण नहीं किया जावे।

(2) धर्मशाला, विश्रामगृह, वाल्मिकी भवन, पंचायत भवन, सभा भवन आदि इन सभी को सामुदायिक भवन माना जावे।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले सामुदायिक भवन में न्यूनतम एक हॉल जिसका फ्लोर क्षेत्रफल 20X15 एवं उससे जुडा एक बरामदा, जिसका फ्लोर क्षेत्रफल 20X8 हो। इस प्रकार सामुदायिक भवन का न्यूनतम कुल फ्लोर क्षेत्रफल 460 वर्गफुट होगा। स्थानीय मांग एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इससे बडा निर्माण भी स्वीकार्य होगा।

(4) सामुदायिक भवननिर्माण उपरान्त ग्राम पंचायत के अधिकार में होगा तथा इसका उपयोग ग्राम पंचायत की अनुमति के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

(5) किसी गांव में पूर्व में यदि कोई सामुदायिक/सभा भवन बना हुआ है, तो भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों/समाज की आवश्यकता अनुसार एक अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा।

(6) उक्त बिन्दु संख्या (1) से (5) की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवनों का विस्तार अनुमत होगा। गांवों के साथ जुडी ढ़ाणियों की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए दो से भी अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हए कराया जा सकेगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों में पूर्ण विवरण मय जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ भिजवाकर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2000/पार्ट–।। दिनांक 10.6.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

15.2 (1) शहरी क्षेत्रों की स्थानीय आवश्कताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर एक से अधिक सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे। शहरी क्षेत्रों में 5 से 15 तक सामुदायिक भवन जनसंख्या के अनुपातिक आधार को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि सामुदायिक भवनों की संख्या विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ – साथ यदि किसी अन्य योजना में भी पूर्व में अनुमत हो एवं निर्मित हो तो उन्हें भी इसका भाग माना जावेगा एवं तद्नुसार सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इससे अधिक सामुदायिक भवनों की आवश्यकता हेाती है तो इस संदर्भ में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किये जाकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त ही अनुमत संख्या से अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जा सकेगा।

(2) शहरी क्षेत्र में सामुदायिक भवन मास्टर प्लान में आरक्षित भूमि पर ही स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(3) सामुदायिक भवन पूर्णतः ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के नियंत्रण में होंगे एवं संबंधित संस्था की अनुमति उपरान्त ही उनका उपयोग किया जा सकेगा।

(4) विभिन्न कार्यक्रम/समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों का आवंटन ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाकर, किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिजली, पानी व सफाई की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन आयोजक को ही करना होगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित आदेशों के अनुसार राशि जमा करवानी होगी, ताकि सामुदायिक भवनों का रख–रखाव सुनिश्चित हो सके।

(5) वृद्वाश्रम के भवन एवं यात्री प्रतीक्षालय को सामुदायिक भवन की श्रेणी में माना जावेगा।

(6) राजकीय स्वामित्व की भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दानदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु भूमि समर्पित की जाती है और वह भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज कर ली गई है तो ऐसी भूमि पर भी निर्माण करवाया जा सकेगा।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2000/पार्ट–।। दिनांक 01.11.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

16. सार्वजनिक, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युतीकरण एवं निजी ढ़ाणियों का विद्युतीकरण जिनमें 5 परिवार संयुक्त रूप से निवास करते हैं।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/एमएलए/ग्रुप–6/2012 डी दिनांक 17.01.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

16.1 हाई मास्क लाईट के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

(1) हाई मास्क लाईट पर विधायक मद से कुल बजट की 10 प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकृत नहीं की जावे।

(2) हाई मास्क लाईट पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं लगाई जावे।

(3) हाई मास्क लाईट बाजार में प्रमुख चौराहों इत्यादि पर ही लगाई जावे। हाई मास्क लाईट उसके विद्युत व्यय एवं रख–रखाव पर होने वाले व्यय को सुनिश्चित करने के पश्चात ही लगाई जावे।

(4) संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका से कुल लागत का 10 प्रतिशत लिया जावे।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(19)ग्रावि/ग्रुप–6/2006/पार्ट, दिनांक 02.08.2010 को प्रतिस्थापित किया गया)

17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।

18. चारदीवारी निर्माण।

19. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।

19 (अ) खेल मैदान/स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हेतु खेल सामग्री

19 (ब) मैचिंग ग्रान्ट हेतु निर्देश निम्नानुसार है :–

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु जारी दिशा–निर्देश – 2007 एवं इसी क्रम में जिला/खण्ड स्तर पर निर्मित करवाये जाने वाले स्टेडियम निर्माण के लिये खेल सुविधाओं के सृजन के संदर्भ में जारी परिपत्र दिनांक 28.2.2007 की पालना सुनिश्चित की जावे।

(2) उक्त निर्देशों के अनुसार स्टेडियम हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद से अधिकतम राशि रूपये 10.00 लाख की मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध करवायी जा सकती है।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के यहां इस प्रयोजन हेतु जमा होगी। उक्त राशि के प्राप्त होने के उपरान्त युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा प्रस्ताव पर मैचिंग ग्रान्ट राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

(4) उक्त योजना के तहत स्टेडियम निर्माण कार्य स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

(5) उक्त निर्देशों के अनुसार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्टेडियम निर्माण की राशि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

- माननीय विधायक द्वारा की गई अनुशंषा की राशि की मैचिंग राशि के रूप में समान राशि ही युवा मामले एवं खेल विभाग की उपलब्ध राशि से स्टेडियम निर्माण की कौनसी गतिविधियां प्राथमिकता पर निष्पादित की जानी है, का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा माननीय विधायक से कराया जावेगा।
- उक्त राशि के उपयोग से सृजित होने वाली परिसम्पत्ति का तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाकर, प्राप्त तकमीने एवं उपलब्ध राशि में यदि कमी हो तो अवशेष राशि की उपलब्धता अन्य स्त्रोतों से सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा युवा मामले एवं खेल विभाग को प्रस्तुत किये जावेंगे।
- उपर्युक्तानुसार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली गतिविधि के लिये उपरोक्तानुसार प्राप्त तकमीने के अनुसार राशि को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
- जारी वित्तीय स्वीकृति के अनुसार विधायक मद की राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को हस्तान्तरित की जावेगी।
- स्टेडियम का निर्माण राजकीय/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमि पर ही करवाया जावेगा।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का हस्तान्तरण कार्यकारी संस्था को 15 दिवस में मैचिंग ग्रान्ट की स्वीकृति जारी करते हुये कार्यकारी संस्था

को उपलब्ध करानी होगी ताकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो सके।

- कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त कर जिला कलेक्टर को भिजवाने का दायित्व सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर/युवा मामले एवं खेल विभाग का हेागा।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(32)ग्रावि/ग्रुप–6/2012(बी) दिनांक 06.12.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)

19 (स)युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की दृष्टि से खेल विभाग द्वारा पंजीकृत जिम्नेजीअम हेतु जिम उपकरण के लिये 50 प्रतिशत जनसहयोग।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/सीएमआर/2012 दिनांक 26.9.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

20. जनोपयोगी कार्य ।
21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव मे अपूर्ण कार्य ।
22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।
24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य।
25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायें :
    (अ) सूचना फुटपाथ
    (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैम क्लब
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो
    (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें।
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजल सिस्टम।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं।
29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं।

30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।

31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें ।

32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर, कम्बल एवं गद्दे ।

33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती व्यय)

35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)

(ए) जिला कलेक्टर कार्यालय में कम्प्यूटर मय प्रिन्टर क्रय करने हेतु एक मुश्तराशि (अनावृत्ति व्यय) ग्रामीण विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के निष्पादन हेतु।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(25)ग्रावि/ग्रुप–6/एमएलएलेड/जोधपुर/2012 दिनांक 28.6.2013 को प्रतिस्थापित)

36. जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं फैक्स मशीन तथा सूचना प्रसारण यंत्र क्रय किये जा सकेंगे।

37. शहीद स्मारक निर्माण हेतु रूपये 2.00 लाख की राशि तक स्थानीय विधायक द्वारा अभिशंषा की जा सकेगी।

38. परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2009–10 की अनुपालना में जिन महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किए जाने हैं वहां इन संकायों के लिये आवृत्ति व्यय (वेतन–भत्ते एवं अन्य आवृत्ति व्यय) आगामी पांच वर्षो (वर्ष 2009–10 से 2014–15) तक माननीय विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में अभिशंषित किए जा सकेंगे।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)एमएलए/ग्रुप–6/2000/पार्ट–।। दिनांक 07.08.2009 को प्रतिस्थापित किया गया)

39. पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमत होने पर वाहन (नॉन ए.सी.) क्रय करने हेतु अभिशंषा कर सकेंगे। इन वाहनों के चालक व अन्य आवृत्ति व्यय योजना में अनुमत नहीं होंगे।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)एमएलए/ग्रुप–6/2000/पार्ट–। दिनांक 31.01.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

40. स्वच्छता इकाईयों का निर्माण

(i) नाली निर्माण

(ii) सार्वजनिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण

(iii) सार्वजनिक संस्थाओं यथा शाला/आंगनबाडी केन्द्र, पंचायत भवन, पटवारघर, चिकित्सालय आदि स्थानों पर शौचालय व मूत्रालय इकाईयों का निर्माण।

(iv) कचरा संग्रहण एवं निस्तारण इकाईयों का निर्माण।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(32)ग्रावि/ग्रुप–6/2000/पार्ट–। दिनांक 04.07.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)

40(अ) (i) ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यालय भवन एवं गोदाम निर्माण के कार्य।

(ii) इन संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावृत्ति व्यय)

नोट– ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला स्तरीय वरिष्ठतम उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां (ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संदर्भ में) एवं जिला प्रबन्ध निदेशक (ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संदर्भ में) से निर्माण कार्य की आवश्यकता के संबंध में सहमति प्राप्त की जावे।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2011/पार्ट–। दिनांक 05.10.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)

41. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत

(1) सामुदायिक गोबर गैस प्लांट

(2) सामुदायिक उपयोग हेतु गैर पारम्परिक ऊर्जा इकाईयां/उपकरण

(3) अन्य

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2012 दिनांक 10.05.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

42. राजकीय भूमि पर अदालत परिसर में बार एसोसिएशन के लिए भवन निर्माण/लिटिगेंट शैड़ का निर्माण। (उक्त निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें जिला/सेशन जज के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसीक्यूटर), संबंधित न्यायालय का पंजीयक एवं बार एसोसिएशन द्वारा मनोनीत दो प्रबुद्ध अधिवक्ता सदस्य होंगे, द्वारा परीक्षण कर अनुमोदनपरान्त निर्णय लिया जावें।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(15)ग्रावि/ग्रुप–6/एमएलए/दौसा/2012 दिनांक 26.06.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

43. ''पंचायती राज संस्थाओं में एवं इसमें स्थापित राजीव गांधी सेवा केन्द्र व पंचायत प्रशिक्षण संस्थाओं तथा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में 'श्रव्य दृश्य प्रदर्शन इकाई' के खरीद एवं स्थापना (एक मुश्त अनावृत्ति व्यय)'' (procurement and Installation of Visual Display Unit)

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2011 दिनांक 17.07.2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची

1. अनुदान एवं ऋण ।
2. वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक संगठन अथवा निजी संस्था के लिये सम्पत्ति।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/2011/पार्ट–। दिनांक 05.10.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)

3. वस्तु/सामान की खरीद।
4. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
6. धार्मिक पूजा स्थल।
7. निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य (विद्युतीकरण, सडक, पानी की लाईन, सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य परिसम्पित्तियों का निर्माण आदि) नहीं करवाया जा सकेगा।

(विभाग के आदेश क्रमांक प. 14(18)ग्रावि/ग्रुप–6/2000/पार्ट–। दिनांक 31.10.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 40,000.00 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध 33639.91 लाख रूपये व्यय कर 13845 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 40,000.00 लाख रूपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 33690.85 लाख रूपये व्यय कर 10040 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

परिचय

- अलवर एवं भरतपुर जिले का मेव बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता हैं, उसके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उंचा उठाना हैं।

कार्यक्षेत्र

- यह कार्यक्रम राज्य के 2 मेव बाहुल्य जिलों यथा अलवर एवं भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम अलवर जिले की 8 मेव बाहुल्य पंचायत समितियों (लक्षमणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण एवं कोटकासिम) तथा भरतपुर की 3 पंचायत समितियॉ (नगर, डीग एवं कामां) में क्रियान्वित किया जा रहा है।

वित्त पोषण

- योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

कार्यों का अनुमोदन

- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिला परिषद स्तर से कार्य प्रस्ताव प्राप्त कर मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल की सहमति की प्रत्याशा में मेवात कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तर पर इस योजना के संचालन हेतु जिला परिषद को नोडल संस्था बनाया हुआ है।
- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण, क्रियान्विती की समीक्षा एवं उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देने के लिये मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन किया हुआ है। मण्डल के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत 2018.70 लाख रूपये व्यय कर 502 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक योजनान्तर्गत 2550.21 लाख रूपये व्यय कर 446 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

परिचय

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **"ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना"** वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा के क्रम में लागू की गई है। योजनान्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे।

उद्देश्य

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएँ

- योजना केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।
- इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।
- इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगाः–

		राज्यांश	जन सहयोग
(i)	शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण, छाया व पानी की व्यवस्था संबंधी कार्य	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(ii)	अन्य कार्य		
	(अ) सामान्य क्षेत्र	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

- जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा

सकेगा। जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/ डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

कार्यों के प्रस्ताव

- इस योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में कराये जावेंगे। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/ सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत 2881.99 लाख रूपये व्यय कर 514 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक योजनान्तर्गत 4451.96 लाख रूपये व्यय कर 480 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी जिलें के दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र मे आर्थिक, सामाजिक, एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डांग क्षेत्रीय विकास योजना को वर्ष 2005–06 के बजट में पुनः प्रारंभ करने की घोषणा के अनुसरण में यह योजना प्रारंभ की गयी हैं।

उद्देश्य

- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिये संसाधन उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र

- डांग क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के 8 जिलो यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बांरा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतो में क्रियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है। योजना को आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग किया जा सकेगा।

विशेषताएं

- योजना डांग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जो राज्य के अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते है एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये लाभप्रद है।
- राज्य स्तर पर डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन माननीय अध्यक्ष महोदय, डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की अध्यक्षता में किया गया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यक्रम के तहत कराये जाने वाले कार्य जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा जिसमें राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन केसाथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो ।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, केवल वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

उपलब्धियां

- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत 2529.61 लाख रूपये का व्यय कर 647 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 4014.11 लाख रूपये व्यय कर 639 कार्य पूर्ण कराये गये है।

स्वविवेक जिला विकास योजना

परिचय

- राज्य में क्षेत्र के विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने, रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 में स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गई हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पतियों एवं आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- यह राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।
- इस योजनान्तर्गत जिला कलक्टर्स द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता, जन आकांक्षाओं एवं आपाताकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- इस प्रकार इस योजनान्तर्गत एक तरफ आपात कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये जिला कलक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी तरफ क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियां एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियां सृजित हो सकेंगी।
- योजना के फलस्वरूप क्षेत्र के विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी।
- स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत बाढ/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में 536.70 लाख रूपये का व्यय कर 152 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2013–2014 में माह दिसम्बर, 2013 तक 250.52 लाख रूपये व्यय कर 101 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राजस्थान राज्य के दक्षिणी–मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाडियों से घिरा हुआ हैं तथा जहां अन्य पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास हैं को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2005–2006 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय एवं अन्य लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनके जीवकोपार्जन की परियोजना लागू करना।

कार्यक्षेत्र

- मगरा क्षेत्र में राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद एवं पाली की कुल 14 पंचायत समितियों के 1426 ग्रामो को सम्मिलित किया गया हैं।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है।

विशेषताएं

- योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही है।
- इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा।
- योजना के तहत जन सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा।
- इस योजनानतर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जावेगी जो राज्य की अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं एवं लोगों के आर्थिक उन्न्यन के लिये लाभप्रद हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा, जिसमें किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार अवसर सृजित हो।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। इस योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2012–13 मे 1570.72 लाख रूपये के व्यय से 277 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 2709.00 लाख का व्यय किया गया एवं 416 कार्य पूर्ण कराये गये।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

परिचय

- राज्य में ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों की त्वरित लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के बजट में रू. 3400 करोड़ की लागत से **''मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना''** के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई। यह योजना इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के परिवारों को लाभान्वित होने में लगने वाले लगभग 20 वर्ष की अवधि को कम करेगी। यह योजना वास्तव में इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर तैयार की गई है। योजनान्तर्गत जनजातीय क्षेत्र में निवास कर रहे सभी बी.पी.एल. चयनित आवासहीन परिवारों तथा राज्य के शेष क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. चयनित परिवारों को आवास निर्माण हेतु दिनांक 01.04.2013 से 70,000/– रूपये प्रति आवास की अनुदान सहायता दी जा रही है। इस योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एवं महात्मा गॉधी नरेगा के साथ भी जोडा गया है।
- आवास के साथ स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (TSC) अर्थात निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत निर्मित किये जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई अनुदान सहायता राशि रूपये 3200/– से बढ़ाकर रूपये 4600/– की गई है।
- उक्त शौचालय निर्माण का कन्वर्जेन्स ''महात्मा गांधी नरेगा'' से विभागीय पत्रांक दिनांक 14.05.2012 एवं 21.06.2012 द्वारा किया गया है जिसके तहत रूपये 5400/– की अधिकतम अतिरिक्त सहायता राशि मस्ट्रोल के आधार पर देने का प्रावधान है। इस प्रकार आवास अनुदान सहायता के अलावा शौचालय निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम अतिरिक्त सहायता लगभग रूपये 10,000/– (रूपये 4600 + रूपये 5400) देय है।
- इस योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 6.80 लाख ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में 2.80 लाख परिवारों को तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में दो–दो लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। उक्त परिवारों को लाभान्वित करने हेतु जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2011–12 में रू. 1400 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में क्रमशः एक हजार करोड़ का एवं 1400 करोड रूपये का ऋण प्राप्त किया जायेगा। यह ऋण जिला परिषदों द्वारा हुड़को से प्राप्त किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली अनुदान सहायता से ऋण का पुनर्भुगतान जिला परिषदों द्वारा किया जायेगा। यह योजना ''आश्रय का अधिकार'' (Right to shelter) के लक्ष्य को अर्जित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

उपलब्धियां

- **फेज–प्रथम (2011–12)** में माह दिसम्बर, 2013 तक 2,75,503 परिवारों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके विरूद्ध 1,55,509 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1,19,412 आवासों का कार्य प्रगति पर है। हुड़को द्वारा 31 जिला परिषदों को रूपये 1310.04 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध रूपये 1250.73 करोड़ का ऋण अवमुक्त किया जा चुका है।

- **फेज–द्वितीय (2012–13)** में माह दिसम्बर, 2013 तक 2,00,567 परिवारों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके विरूद्ध 30,552 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1,69,892 आवासों का कार्य प्रगति पर है। हुड़को द्वारा 26 जिला परिषदों को रूपये 1037.12 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध रूपये 706.25 करोड का ऋण अवमुक्त किया जा चुका है।
- **फेज–द्वितीय (2013–14)** में माह दिसम्बर, 2013 तक 1,77,898 परिवारों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके विरूद्ध 27 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1,68,128 आवासों का कार्य प्रगति पर है। हुड़को द्वारा 23 जिला परिषदों को रूपये 1511.47 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध रूपये 656.50 करोड का ऋण अवमुक्त किया जा चुका है।

(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
(आर.आर.एल.पी.)

परिचय

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई जिसके क्रम में ''**राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना**'' के प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये। परियोजना की स्वीकृति विश्व बैंक बोर्ड की बैठक दिनांक 11.01.2011 में कर दी गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.06.2011 से प्रभावी हो गई है। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्देश्य

(1) 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना (आय में स्थाई वृद्वि)।
(2) चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडते हुये क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण।
(3) गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन।

परियोजना लागत

- प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रु. 870 करोड(बैंक ऋण के अतिरिक्त) आंकलित की गई है।

1	विश्व बैंक (आई.डी.ए.) का हिस्सा	रु.769.90 करोड़ (150 मिलियन यू.एस. डॉलर के बराबर)
2	राज्यांश	रु. 100.10 करोड़
कुल परियोजना लागत		रु. 870 करोड़

परियोजना की विशिष्टतायें

1. स्वयं सहायता समूहों के साथ–साथ उनकी उच्च स्तरीय संस्थाओ का गठन।
2. एक से अधिक स्वरुप में वित्तीय सहायता।
3. अनुदान के स्थान पर बचत एवं साख की पद्धति ज्यादा सफल।
4. आजीविका संसाधनों का विकेन्द्रीकरण।
5. सामुदायिक एवं आजीविका सुरक्षा।
6. राज्य स्तर से गांव स्तर तक समर्पित संस्थापन।
7. समुदाय की लागत आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण।
8. समुदाय से समुदाय का क्षमतावर्धन।

9. दक्षतावर्द्धन एवं सुनिश्चित रोजगार।
10. प्रभावी संचालन :–
    (अ) जी.आई.एस. आधारित सीएमआईएस सिस्टम।
    (ब) आईसीटी आधारित मोबाईल ट्रेकिंग।
    (स) टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रोसेस मोनिटरिंग।

अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स

- परियोजना के अन्तर्गत इस बिन्दु पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिये संचालित योजना का लाभ भी गरीबों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे एन.आर.एच.एम. सर्व शिक्षा अभियान, टी.एस.सी., नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनायें जो कि गरीबी उन्मूलन से सीधा संबंध रखती है।

परियोजना क्रियान्वयन

- परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी.) के माध्यम से करवाई जावेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फेडरेशन एवं प्रोडूसर ऑगेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेंगे।

परियोजना का क्षेत्र

- परियोजना राज्य के निर्धनतम 18 जिलों (बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंन्द, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर) में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन

- राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.09.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियॉ

1. परियोजनान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु आवश्यक सोसियल एसेसमेंट, ट्रायबल डवलपमेंट फ्रेम वर्क एवं जेण्डर एक्शन प्लान अध्ययन विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये जाकर इनको परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

2. एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की विस्तृत रिपोर्ट ''दी एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट'' (टेरी) से तैयार करवाकर उसके प्रावधान भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल किये गये है।

3. परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन (पीआईपी), वित्तीय, प्रोक्योरमेंट, कम्यूनिटी ऑपरेशनल एवं एच. आर.मेन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये जिन पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ दिनांक 24.05.2011 को लीगल डॉक्यूमेंट्स हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.06.2011 से प्रभावी हो गई है।

प्रस्तावित क्रियान्वयन

- परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान (PIP)में परियोजना अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का वर्षवार कार्यक्रम निम्न प्रकार तैयार किया गया हैः–

परियोजना गतिविधियों के चरण							
क्र. सं.	गतिविधि	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	**कुल**
1.	जिला	18					**18**
2.	पी.एफ.टी. संस्थापन	34	76				**110**
3.	ग्राम प्रवेश (प्रतिशत)	18	65	17			**100**
4.	परियोजना में स्वयं सहायता समूह	2550	19398	9684	1368		**33000**
5.	क्लस्टर डवलपमेन्ट आर्गेनाईजेशन	340	1123	646	91		**2200**
6.	पी.एफ.टी. एरिया फैडरेशन			17	38		**55**
7.	उत्पादक संघ			8	9		**17**
8.	कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण	680	5100	5100	6120		**17000**
9.	ग्रुप लिंकड विद् बैंक्स		1785	13579	6779	958	**23100**

ट्रांजिक्शन बेस्ड मॉनिटरिंग टूल ''साख दर्पण''

- एमपॉवर, आरआरएलपी तथा एनआरएलएम के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं की सुचारु मोनीटरिंग हेतु **एक गांव कम्पनी के माध्यम से ट्रांजिक्शन बेस्ड मॉनिटरिंग टूल विकसित कराया गया है।** इस टूल के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जा रही बैठकों, बचत, ऋण का आदान–प्रदान एवं अन्य गतिविधियां कम्प्यूटराईज्ड की जा रही है।

रिसोर्स ब्लॉक Strategy

- SERP हैदराबाद के साथ 6 मार्च, 2013 को किए गये MOU के तहत राजस्थान के 10 रिसोर्स ब्लॉक्स में SERP के CRP एवं PRPs द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- 5 रिसोर्स ब्लॉक्स (बकानी, छीपा बडौद, सांगोद, निवाई, चूरू) में 4 CRP rounds, 2 रिसोर्स ब्लॉक (आनन्दपुरी, खेरवाडा) में 3 CRP rounds, व 3 रिसोर्स ब्लॉक (आसीन्द, देवगढ़, डूंगरपुर) में 2 rounds, पूर्ण किये जा चुके हैं।
- सभी 10 रिसोर्स ब्लॉक में वर्तमान में (दिनांक 9.2.2014, से 5 रिसोर्स ब्लॉक में व 15.2.2014 से शेष 5 रिसोर्स ब्लॉक में) CRP rounds जारी व प्रस्तावित है।

Intensive ब्लॉक Strategy

- RRLP के अन्तर्गत 12 ब्लॉक **Intensive** ब्लॉक **Strategy** के लिए चिन्हित किये गये है।
- CRP टीमो द्वारा 7 ब्लॉकों में (बाडी, बसेडी, दौसा, तारानगर, सीमलवाडा, झाडोल एवं कोलायत) में सी.आर.पी. राउन्ड चल रहे हैं एवं अभी तक कुल 1535 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

माह मार्च, 2014 तक की कार्य योजना

- 11507 स्वयं सहायता समूहों का गठन/कॉ–आप्शन।
- 11000 स्वयं सहायता समूहो का बैंक खाता खोलना।
- 437 कलस्टर डवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन का गठन/कॉ–आप्शन ।
- कुल 8000 स्वयं सहायता समूहों को ट्रांच–1 एवं 2500 स्वयं सहायता समूहों को ट्रांच–2 उपलब्ध करवाया जायेगा।

मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

परिचय

- राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के छःजिलो में अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना Mitigating poverty in western Rajasthan (MPOWER) परियोजना स्वीकृत की गई है। राज्य के जोधपुर संभाग के बायतु (बाड़मेर), सॉकडा (जैसलमेर), बाप (जोधपुर), सांचौर (जालौर), बाली (पाली) तथा आबूरोड (सिरोही) पंचायत समितियों में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इन पंचायत समितियों में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शत–प्रतिशत बीपीएल परिवार परियोजना के लक्षित समूह होंगे। परियोजना की प्रस्तावित अवधि छः वर्ष थी जिसे अब दो वर्ष बढा दिया है। इस परियोजना से 215 ग्राम पंचायतो के 941 ग्रामों के लगभग चौरासी हजार बी.पी.एल. परिवारो को सीधे तौर पर लाभान्वित होगे।

परियोजना लागत

- परियोजना की कुल लागत 291 करोड़ रूपये है जिसमें आईफैड का 124 करोड रूपये राज्य सरकार का 87.50 करोड रूपये, लाभान्वितो का अंशदान 10.50 करोड रूपये, बैको के माध्यम से स्वयं सहायता समूहो को ऋण के रूप में 56.00 करोड रूपये एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान के रूप में 13 करोड रूपये सम्मिलित है।

उद्देश्य

- गरीब परिवारो के स्थाई आजीविका के अवसरों का सृजन करना ताकि गरीब परिवारो के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके । इस परियोजना के विशिष्ठ उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–
  - **अ.** अकाल की सम्भावनाओ को कम करना एवं जल सुरक्षा मुहैया करना।
  - **ब.** आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन।
  - **स.** बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादकता में सुधार।
  - **द.** उत्पादकों की उनके उत्पादनों के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु बाजार तक पहुॅच तथा इस हेतु Backward एवं Forward Linkages की स्थापना।
  - **य.** महिलाओं, पिछडों एवं निराश्रित जनों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनका सशक्तिकरण करना।
  - **र.** राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं मे उपलब्ध राशि का उपयोग परियोजना से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सुनिश्चित करना।

- इस योजनान्तर्गत आजीविका गतिविधियो के साथ–साथ सामुदायिक आधारभूत विकास (Infrastructure Development) कार्य हेतु रूपये 111 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिसका उपयोग सूखे के प्रभाव को कम करने, प्रचलित आजीविका कौशल को संरक्षित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मेड बन्दी,खेत तलाई, मृदा सुधार हेतु गतिविधिया,उधानिकी,कुओं का निर्माण,चारागााह

विकास ,चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था हेतु सी.एफ.सी. (Common Facility Centre) निर्माण आदि कार्यो हेतु किया जावेगा।

परियोजनान्तर्गत विशिष्ट नवाचार

अ. परियोजना के संसाधनों से प्रेरक राशि उपलब्ध कराने के साथ–साथ क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली अन्य सरकारी योजनाओं विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के साथ सामंजस्य (convergence) स्थापित कर उपलब्ध कोष एवं कार्यों को डोवटेल किया जावेगा, जिससे परियोजना संसाधनो में महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव होगी।

ब. परियोजना के दौरान गॉव के सभी वर्गों में समानता के मुद्दो को महत्व दिया जाएगा।

स. स्वयं सहायता समूहों को क्रय –विक्रय समूहों में (मार्केटिग ग्रुप्स्) विकसित कर उन समूहो को लघु उद्यमी के रूप विकसित किया जावेगा। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र मे सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक सुदृढीकरण में परिवर्तित किया जाएगा।

उपलब्धियॉ

- बैस लाईन सर्वे किया जा चुका है।
- सभी ब्लॉक मे RIM सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- राज्य परियोजना संचालन समितियां (SPSC) परियोजना संचालन समिति (PSC) एवं जिला परियोजना संचालन समितियों (DPCC) का गठन किया जाकर नियमित बैठकें करवाई जा रही है।
- परियोजना अन्तर्गत गठित स्वंय सहायता समूहों की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु ऑनलाईन SHG MIS विकसित किया गया है।

(1) बुनियादी सामुदायिक संस्थाओं का सशक्तिकरण

- 4622 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और उनके द्वारा राशि परिचालन शुरू हो चुका है। इनकी कुल बचत 519.67 लाख रूपये है।
- परियोजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कार्मिको के विभिन्न विषयों पर 58 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए । पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 5 कार्यशालाए आयोजित की गई ।
- 267 ग्राम संगठनों का गठन किया गया ।

(2) सामुदायिक आधारभूत विकास कोष

- आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु परियोजना क्षेत्र के 941 गॉवो की विकास योजना तैयार कर उनके 3519 आजीविका आधारित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास कार्य,जिसमें पेयजल, टांके (GLR) बकरी घर निर्माण आदि सम्मिलित हैं, परियोजना मद से 20 करोड़ की स्वीकृतियॉ जारी कर कार्य सम्पन्न करवाये जा रहे है ।

- व्यक्तिगत लाभ (केटेगरी –IV) के कार्यो की पहचान कर कुल 32 करोड रूपये के कार्य महानरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर करवाया जाने हेतु महानरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाया गया है।
- 20 पांली हाउस आबूरोड में सब्जी उत्पादन के लिए निर्मित किये गये ।
- भू एवं जल संरक्षण के लिए 8 हेक्टर में पायलट (pilot) के रूप में किया जा चुका है जिसे इस परियोजना क्षेत्र में लागू किया जायेगा ।
- 1081 मध्य माप के टांके सूखे क्षेत्र के जिलों में चिन्हितकरण करके, पीने के पानी के लिए निर्मित किये जा रहे है ।
- 49 डाईवर्जन आधारित सिचाई के निर्माण कार्य किये गये ।
- 1985 बकरी घर एवं 239 पशु घरों की पशुधन के लिए स्वीकृतियॉ जारी कर इनका निर्माण करवाया जा रहा है ।
- 17193 गांवों में महिला श्रम भार में कमी (Drudgery Reduction Activities) का क्रियान्वयन।

(3) आजीविका

(1) कृषि

- 24 कृषि संकुल स्थापित किये जिनमें मक्का (7) बाजरा (10) दाल (2) सब्जिया (2) और फल उधान (3) सम्मिलित है ।
- इस कृषि संकुलों से वर्तमान में 11023 परिवार लाभांवित हो रहे है ।
- 48 प्रतिशत सामुदायिक आजीविका सहजकर्ता कृषि की पैदावार बढाने के लिए कार्य कर रहे है ।
- 162 प्रशिक्षित कृषि सखी परियोजना क्षेत्र में गठित कृषि संकुल में सम्मिलित परिवारों की सहायता हेतु कार्यरत है ।
- आबूरोड व बाली के 500 आदिवासी के साग–सब्जी उत्पादन गतिविधि से इन परिवारों की 10,000 से 15,000 वार्षिक औसत आय में वृद्धि हुई है।
- 11521 परिवारों को कृषि प्रर्दशनों के माध्यम से Package of Practices और उन्नत बीजों के द्वारा उन्नत खेती से लाभान्वित किया गया है ।
- परियोजना क्षेत्र मे 1430 फसल प्रदर्शन करवाकर किसानों की आजीविका बढाने के प्रयास किये गये है।
- पांच प्रमुख आजीविका क्षेत्रों जैसे की हस्तशिल्प, डेयरी, शंख पुष्पी, जिरा एवं सब्जी का विस्तृत उत्पादन एवं विश्लेषण किया जा चुका है। आगामी त्रैमासिक में क्रियान्वयन किया जावेगा।
- सीताफल उत्पादन क्षेत्र (बाली) ब्लॉक में एक कलस्टर बनाया गया है ।

(2) पशुधन (बकरी– आधारित आजीविका)

- 19 बकरी संकुल परियोजना क्षेत्र में बकरी प्रबन्धन व्यवस्था, मृत्यु दर कम करने, समय पर उपचार एवं उन्नत नस्ल सुधार हेतु स्थापित किये गये हैं।
- 3828 परिवारों के मध्य 373 बकरी पालक समूह (GRG) गठित किये गये हैं।
- 26 प्रशिक्षित पशुधन सहजकर्ता, पशुधन की सहायता के लिए लगाये गये हैं।

- 122 प्रशिक्षित पशु सखी बकरी पालक समूह (GRG) के लिए कार्य कर रही है।
- सांचौर क्षेत्र को दूग्ध गतिविधि विकास के लिए चयन कर डेयरी कलस्टर का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है ।
- 910 गांवों में पशु टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए।

(3) दक्षता आधारित युवा रोजगार कार्यक्रम

- 1713 युवाओं (878 महिलाऐं + 835 पुरूष) को विभिन्न विषयों में यथा सिक्योरिटी गार्ड, सिलाई मशीन ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरो को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 145 युवाओं को संगठित क्षेत्रो में रोजगार दिया जा चुका है। वही 1424 युवाओं को आरसेटी, आरएमओएल, आईएल एण्ड एफएस, आईएचएम और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(4) लघु वित

- 1302 स्वयं सहायता समूहों को ऋण के लिये बैकों से सम्बन्धित (Bank Linkage) किया जा चुका है तथा 478.13 लाख रूपये की ऋण सहायता की स्वीकृतियॉ जारी कर 400.80 लाख रूपये ऋण सहायता दी जा चुकी है ।
- 3864 स्वयं सहायता समूहों को उनके स्व मूल्यांकन (Self Grading) के आधार पर रिवोल्विंग फण्ड के रूप में 585.70 लाख रूपये परियोजना के माध्यम से दिये जा चुके है।
- स्वयं सहायता समूहो के लिये वित्तीय सेवाओ की उपलब्धता को बढावा देने के लिये यूको बैंक, स्टेट बैंक औफ बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक, मारवाड़ ग्रामीण बैंक और 6 सहकारी बैकों से अनुबन्ध किया जा चुका है।
- बैक अधिकारियो की सात एक दिवसीय कार्यशालाए एवं परियोजना क्षेत्र के शाखा प्रबन्धको के 2 दिवसीय 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए।
- परियोजना क्षेत्र में Micro Insurance लागू करने हेतु अध्ययन किया गया ।

वित्तीय प्रगति

- परियोजना हेतु वर्षवार बजट आंवटन एवं किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

Øe la[;k	o"kZ	ctV izko/kku	la'kksf/kr izko/kku	O;; jkf'k		
				ifj;kstuk dks"k	S.R.T.T.	dqy
1	08-09	50.00	50.00	2.42	0.00	2.42
2	09-10	839.00	690.00	107.31	19.00	126.31
3	10-11	1400.00	850.00	480.57	27.18	507.75
4	11-12	2400.00	2288.00	600.75	52.12	440.54
5	12-13	2962.00	1115.69	402.79	65.71	468.50
6	13-14 upDec-13	3962.00	3500.00	1622.58	87.79	1710.37

dqy	**11613.00**	**8493.69**	**3216.42**	**251.80**	**3468.22**

बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

परिचय

- बायो–फ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में उभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। डीजल के विकल्प के रूप में बायो–फ्यूल ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो–फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में **''बायो–फ्यूल मिशन''** का गठन किया गया। मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायो–फ्यूल पॉलिसी घोषित कर अलग से बायो–फ्यूल प्राधिकरण (BFA) का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तैलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

उद्देश्य

- बायोफ्यूल प्राधिकरण का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती, अनुसंधान प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षेत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

मुख्य बिन्दु

- जिले में उपलब्ध काश्त योग्य बंजर भूमि का न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, कृषि सहकारी समिति एवं पंजीकृत समिति एवं ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को आवंटित की जावेगी। जिसमें बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी। शेष काश्त योग्य बंजर भूमि, अधिकतम 30 प्रतिशत भाग, भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत निजी कम्पनियों एवं राजकीय उपक्रमों को आवंटित करने का प्रावधान है।
- उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किया जावेगा –
  - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
  - बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
  - पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
  - उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
  - रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती
- बायो–फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा

- जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।
- राजफैड द्वारा रतनजोत की 9/– रूपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
- वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 135 दिनांक 09.03.08 के द्वारा रतनजोत, क्रूड बायोडीजल एवं 100 प्रतिशत बायो डीजल (B-100) को VAT से मुक्त कर दिया गया है।

उपलब्धियां

- चिन्हित 12 जिलों के कलक्टर्स द्वारा कुल 41127 हैक्टेयर बंजर भूमि चिन्हित की गई हैं। जिसमें से 12858.50 हैक्टेयर भूमि आंवटित की जा चुकी हैं। 8436.95 हैक्टेयर भूमि 941 स्वयं सहायता समूहों को (बीपीएल परिवारों के) तथा 4421.56 हैक्टयर 418 ग्राम पंचायतों को रतनजोत की खेती हेतु गैर खातेदारी आधार पर आंवटित की जा चुकी है।
- भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 और 2006–07 में क्रमशः रू 225 लाख व रू. 500 लाख कुल 725.00 लाख रतनजोत पौधारोपण हेतु आंवटित किये गये थे। राशि से जिलो में रतनजोत के पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2013 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य (पौध तैयार करने का)	उपलब्धियॉ (पौध तैयार करने की)	पौधारोपण	राशि का उपयोग
2006–07	75.00	66.00	61.00	176.80
2007–08	174.00	147.81	134.01	292.80
2008–09	38.85	46.63	46.63	124.50
2009–10	30.75	9.94	6.83	25.86
2010–11	22.10	9.41	9.41	19.36
2011–12	24.08	7.58	7.49	6.49
2012–13	26.08	10.25	3.63	–
2013–14 (दिसम्बर,2013तक)	13.00	6.57	6.57	–

- भारत सरकार द्वारा राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ खण्ड में तथा बांसवाड़ा जिले के गढ़ी खण्ड में रतनजोत के मॉडल के रूप में एक पायलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत पौधारोपण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस परियोजना में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।
- वर्ष 2011–12 से रतनजोत के पौधारोपण का कार्य नरेगा के माध्यम से कराया जा रहा है।

राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड

- राज्य बंजर भूमि विकास, बंजर भूमि विकास से संबंधित सभी विभागों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप से जल एवं भू–संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी, चारागाह विकास व बायोफ्यूल गतिविधियों हेतु समुचित रूप से दीर्घकालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने एवं बंजर भूमि पर किए वृक्षारोपण से प्राप्त उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 14.10.2009 को आयोजित हुई जिसमें :–

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का श्रेणीवार (पंचायत भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व भूमि, वनभूमि, अनाधिकृत कब्जे वाली बंजर भूमि इत्यादि) एवं पंचायत समिति अनुसार विवरण जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने,
2. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का चिन्हीकरण कर उसको अन्य योजनाओं के साथ विकसित करने,
3. राज्य में विदेशी बबूल को जड़ से उखाडकर कोयला बनाने पर पाबन्दी लगाने जैसे निर्णय लिए गए हैं।

- बिन्दु संख्या 3 की क्रियान्विति हो चुकी है। बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में राज्य के 30 जिलों में 67.01 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि का चिन्हीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे वेबसाईट पर डाल दिया गया है। शेष 3 जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
- बिन्दु संख्या 2–पीआईए के माध्यम से 8 जिलों में 30,000 हैक्टेयर बंजर भूमि को महानरेगा से कनवर्जेन्स कर विकसित किया जा रहा है।
- राज्य के 14 जिलों में बंजर भूमि विकास हेतु 10–10 हैक्टेयर के पायलट प्रोजेक्ट वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किये जावेंगे। इसके लिये 13 जिलों में महानरेगा की वर्ष 2014–15 की कार्य योजना में एवं 1 जिला बारां में आई.डब्ल्यू. एम.पी. में सम्मिलित कर लिया गया है।

निगरानी तंत्र

परिचय

- विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनायें उनके लिये निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कियान्वित की जावे, जिससे ग्रामीण गरीबों एवं कम विकसित क्षेत्रों को पूरा लाभ मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सम्पूर्ण निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

मासिक प्रगति रिपोर्ट

- विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। पंचायत समितियां मासिक प्रगति सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर उसके संकलन के उपरान्त जिला परिषद को प्रेषित करती हैं। जिला परिषदों द्वारा प्रगति संकलित कर सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारियों को प्रेषित की जाती है। कार्यक्रम प्रभारियों से प्राप्त प्रगति के आधार पर मुख्यालय स्थित मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा राज्य स्तर पर सभी योजनाओं की योजनावार एवं जिलेवार इकजाई प्रगति के प्रपत्र तैयार कर उच्च अधिकारियों को गत वर्ष से तुलनात्मक स्थिति मय समीक्षात्मक टिप्पणी के प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त प्रगति के आधार पर जिन जिलों की प्रगति कम है, उन्हें प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय की ओर से अ0शा0 पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारियों द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति निर्धारित प्रपत्रों में मासिक/त्रैमासिक भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जाती हैं।

ऑन–लाईन निगरानी

- जिलों द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर ऑनलाईन किये जाने से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता एवं समय बद्धता में सुधार हुआ है तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा को आधार प्रदान हुआ है। इसके अतिरिक्त विस्तृत एम.आई.एस. हेतु राज्य योजनाओं के प्रपत्रों में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए जिलों से ऑन–लाईन प्रगति प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जाकर ऑनलाईन प्रगति प्राप्त की जा रही है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिलों को दी जाने वाली राशि की रिलीज के लिये अपनाई गई कार्यविधि में यह निर्धारित किया गया है कि जिला परिषद

(ग्रा.वि.प्र.) इस आशय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिये किया गया है जिसके लिये ये स्वीकृत की गई थी और निधियों को अन्यत्र नहीं लगाया गया है। दूसरी और परावर्ती किश्तों की रिलीज के लिये लेखों तथा रिपोर्टों की लेखा परीक्षा एक पूर्व शर्त है। जिला परिषद को सलाह दी गई है कि वे उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। इन दस्तावेजों की मांग होने से निधियों के अन्यत्र उपयोग, यदि कोई हो, पर भी रोक लगती है।

क्षेत्र दौरे

- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले एवं गांवों का नियमित दौरा करने हेतु जिलों का आवंटन किया गया है। अधिकारियों द्वारा उनके आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में एक बार क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया हुआ है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित विभाग/जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

सतर्कता और निगरानी समितियां

- सतर्कता और निगरानी समितियों की भूमिका और गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्हे विभागीय योजनाओं के कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण जरिया बनाने के लिये प्रत्येक राज्य क्षेत्र और प्रत्येक जिले के लिये इन समितियों को राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर अगस्त, 2009 में पुनर्गठित किया गया है। सभी संबद्ध लोगों को इन पुनर्गठित समितियों की संरचना, भूमिका और कार्यों के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें तय किया गया है कि इन समितियों की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जावे। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज्य समिति की अध्यक्षता करते हैं, जबकि नामित संसद सदस्य जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों की अध्यक्षता करते हैं।
- समितियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ प्रभावपूर्ण संबंध और समन्वय करना होता है ताकि सभी योजनाएं कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जा सके।

ई–गवर्नेंस क्रियाकलाप

- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी, निगरानी हेतु विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in का 5 जुलाई 2006 को शुभारम्भ किया गया है। विभागीय वेबसाईट पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्गदर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS)

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा CMIS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट भाषण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं, दिये गए निर्देशों, कार्ययोजना आदि की प्रगति मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की जाती है।

महत्वपूर्ण बैठकें

- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। इससे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।
- प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के तत्काल समाधान हेतु जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित कर विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का तत्काल समाधान कर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

राष्ट्र स्तरीय मोनिटर्स (NLM)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार एवं गहन मोनिटरिंग करने हेतु राष्ट्र स्तरीय मोनिटर्स **(NLM)** का मनोनयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सिविल एवं रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत्त अधिकारियों में से किया जाता है। उक्त मनोनीत अधिकारी उन्हें आवंटित जिलों में मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर निरीक्षण कर क्रियान्वयन में पाई गई कमियों एवं सुझावों को प्रतिवेदन में समावेश करते हुये प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिवेदन में पाई गई कमियों एवं दिये गये सुझावों के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

- इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था के रूप में दिनांक 25.3.1989 से कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों से जुडे जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना हैं।

पंचायती राज प्रकोष्ठ

- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार समर्थित एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट–डवलपमेंन्ट ऑफ ब्रॉड गाइडलाईन्स फॉर इम्प्रूविंग आउटरीच एण्ड क्वॉलिटी ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीआरआईज़' के सफल समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु संस्थान की प्रो. अनिता को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय संयोजक मनोनीत किया गया। संस्थान द्वारा परियोनान्तर्गत आवंटित 13 राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों स्वयंसेवी संस्थाओं की माह अप्रेल से जून 2013 के मध्य 3 कार्यशालाऐ आयोजित की गई। आयोजित कार्यशालाओं के आधार पर संस्थान द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को रिपोर्ट एवं अनुशंषाऐं प्रस्तुत की गई। प्रो. अनिता द्वारा किये गये प्रभावी प्रस्तुतिकरण के आधार पर संस्थान को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नेशनल केपिसीटी फ्रेमवर्क का संशोधित प्रारूप तैयार करने हेतु गठित टास्क फोर्स में प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रो. अनिता द्वारा टास्क फोर्स प्रतिनिधि के रूप में मोड्स ऑफ ट्रेनिंग विषयक अध्याय पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।
- यू.एन.वीमेन परियोजना के तहत् 16–17 मई,2013 के दौरान राज्य स्तरीय महिला जनप्रतिनिधि संगम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रस्तुत महिला जनप्रतिनिधियों की सफल कहानियों को पुस्तिका के रूप में संकलित कर, इस वर्ष के पंचायती राज रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान में जनप्रतिनिधयों के अभिप्रेरण हेतु वितरित किया गया।
- यू. एन. वीमेन परियोजना के तहत् 12–14 जून, 2013 के दौरान संभागवार बैचों में 3 टी.एन.ए. कार्यशालाओं का आयोजन कर इस वर्ष जैण्डर संवेदी शासन थीम पर संपादित होने वाले पंचायती राज रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान की विषय वस्तु निर्धारित की गईं।
- संस्थान में अन्य देशों व राज्यों के विशिष्ट अतिथियों/प्रतिनिधियों को राजस्थान में पंचायती राज परिदृश्य एवं क्षमता विकास संबंधी प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसी क्रम में जुलाई, 2013 में अफगानिस्तान देश से आये वरिष्ठ प्रशासकों एवं सितम्बर, 18, 2013 में बिहार राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा वरिष्ठ प्रशासकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया।
- आरजीपीएसए योजना अनुदान के तहत वर्ष 2013–14 में जैंडर संवेदी शासन मुद्दो पर आधारित पंचायती राज रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान के तहत 11 दिसम्बर, 2013 से 21 फरवरी, 2014 के मध्य समस्त पंचायती राज प्रतिनिधियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य अनुसार

संस्थान स्तर पर 2 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें 208 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त संदर्भ सामग्री के रूप में 5 पुस्तकों का प्रकाशन पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। पेसा क्षेत्र के 5 जिलों की 26 पंचायत समितियों के प्रशिक्षक दलों हेतु रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन 7 जनवरी, 2014 को किया गया। इस प्रशिक्षण हेतु एक मोड्यूल एवं पेसा अधिनियम व कानून संबंधित एक पुस्तिका का प्रकाशन कर वितरण किया गया।

जलग्रहण प्रकोष्ठ

(1) जलग्रहण मद

- निदेशालय, जलग्रहण विकास भू–संसाधन विभाग द्वारा IWMP मद से संस्थान के जल ग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2013–14 में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न स्तर की 5 कार्यशालाओं में 179 संभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(2) यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम (EU SPP)

- यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के तहत संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन हेतु एक कार्यशाला का आयोजन कर रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसका अनुमोदन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा चुका है। इसी रिपोर्ट के आधार पर EU SPP के तहत प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार किया गया है।
- EU SPP के तहत वर्ष 2013–14 में संस्थान में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त EU SPP के तहत सिक्किम व कर्नाटक राज्य की अध्ययन यात्राएं आयोजित की गयी, जिनमें क्रमशः 29 एवं 20 पंचायती राज जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD)

- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) सन् 1988–89 से अपनी गतिविधियां HCM RIPA JAIPUR में संचालित करता था। सन् 1999 में इसका विलय इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में किया गया। प्रत्येक राज्य में एक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। समस्त राज्यों में स्थापित राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का पर्यवेक्षण एवं वित्तीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की मुख्य मुख्य गतिविधियॉ निम्न प्रकार है –
  1. **केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान :–** केन्द्र सरकार से एसआईआरडी मद के अन्तर्गत वेतन–भत्तो तथा कार्यालय संचालन हेतु राशि प्राप्त होती है। विभिन्न संसाधनों के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं, जैसे हॉस्टल निर्माण कराना, जनरेटर सैट, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण उपकरण, फर्नीचर इत्यादि क्रय करना। गत वर्ष कुल 92.08 लाख रूपये केन्द्र से वेतन – भत्ते हेतु आवर्तक

मद में प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष आवर्तक मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं, सहायता प्राप्त किया जाना शेष है।

2. **राज्य सरकार द्वारा अनुदान :–** राज्य सरकार द्वारा गैर आयोजना मद में वेतन की पूर्ण राशि दी जाती है तथा साथ ही उन पदों का 50 प्रतिशत वेतन भी दिया जाता है, जिनका शेष 50 प्रतिशत भाग एसआईआरडी मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय होता है।
3. **परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :–** इसके अन्तर्गत समय – समय पर भारत सरकार /राज्य सरकार या अन्य किसी ऐजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि दी जा सकती है, जिसका व्यय केवल प्रशिक्षण कार्य पर होता है। इस समय पंचायती राज विभाग, नरेगा, एनआरएलएम, बीआरजीएफ, यूरोपियन यूनियन, वाटरशेड, इन्दिरा आवास योजना, आदि योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
4. **PGD SRD:(Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development½** विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ससटेनेबल रूरल डवलपमेन्ट, प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम दो सेमेस्टर में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के चार बैच सम्पन्न किये जा चुके है।
5. **PGD TDM (Post Graduate Diploma in Tribal Development and Management½** आदिवासी विकास परियोजनाओं को विकसित एवं संचालित करने के दृष्टिकोण एवं उच्च सामर्थ्य विकसित करने के लिए बेहतर शिक्षा संसाधनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से "आदिवासी विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में इसी वर्ष (2013–14) से शुरू किया गया है। इसके प्रथम बैच की परीक्षा जुलाई, 2013 एवं दिसम्बर, 2013 मे सम्पन्न हो चुकी है।

बी.आर.जी.एफ. प्रशिक्षण

- मार्च 2013 में बीआरजीएफ योजना के अन्तर्गत रूपये 739.35 लाख प्राप्त हुए थे, जिनका व्यय 2013–14 में किया जाना था, जिसके लिए क्रमशः रूपये 158.19 लाख एवं 120.04 लाख की राशि जिला परिषद एवं पंचायत समिति को प्रशिक्षण हेतु अग्रिम राशि के रूप में दी गई। प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार रूपये 466.20 लाख विभिन्न जिलों को राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के फर्नीचर क्रय हेतु भेजे गये हैं। प्राप्त राशि में से लगभग रूपये 713.80 लाख व्यय/स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।
- वर्ष 2013–14 हेतु रूपये 572.72 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं एवं रूपये 200.00 लाख विभाग से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त राशि से लगभग 93.48 लाख का व्यय हो चुका है एवं रूपये 274.16 लाख आरएसआरडीसी को संस्थान व हॉस्टल की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2013–14 में बीआरजीएफ सैल द्वारा विकेन्द्रीकृत आयोजना एवं अन्य विषयों पर कुल 14 प्रशिक्षण/कार्यशाला जनवरी, 2014 तक सम्पन्न कराई गईं एवं

605 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त बी.आर.जी.एफ द्वारा यूनीसेफ समर्थित विकेन्द्रित आयोजना संबंधित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप की तीन कार्यशालाएं सम्पादित की गई हैं।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.)

- **आर.जी.पी.एस.ए.** के तहत वर्ष 2013–14 में संस्थान को दिसम्बर 2013 तक कुल राशि रूपये 5 करोड प्राप्त हुई है, जिससे दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014 तक पी.आर.आई. सैल द्वारा जैण्डर संवेदी शासन पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कराये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)

- मनरेगा प्रकोष्ठ में सेटकॉम के माध्यम से पंचायत समिति मुख्यालय पर समस्त ग्राम सेवकों को एचआईएमएस/कॉल सेन्टर के संबंध में डॉटा संग्रहण की जानकारी एवं ग्राम सेट के माध्यम से एस.एम.एस. भेजने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
- मनरेगा प्रकोष्ठ मे वर्ष 2013–14 मे दिसम्बर माह तक 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमे 984 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

एसजीएसवाई/एनआरएलएम

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत संस्थान को राशि रूपये 128.89 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रूपये 56.10 लाख प्रथम किश्त के रूप में योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुए हैं। एनआरएलएम प्रारम्भ होने के कारण उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 07.01.2013 को संशोधित प्रशिक्षण प्रस्ताव, राशि रूपये 56.40 लाख ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका हैं। 2013–14 में 10 प्रशिक्षण एवं 2 ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाये गए, जिसमें 899 सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही 2014–15 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS)

- इस योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए फील्ड वेरीफिकेशन टीम के प्रशिक्षण एवं फील्ड वेरीफिकेशन का कार्य करवाया गया ।

संस्थान में स्वीकृत पदों का विवरण

आयोजना भिन्न मद

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	महानिदेशक, आई.ए.एस.	1	67000–79000
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	37400–67000
3.	उप निदेशक, आर.ए.एस.	2	15600–39100
4.	प्रोफेसर	2	37400–67000
5.	सहायक निदेशक	4	15600–39100
6.	लेखाधिकारी	1	15600–39100
7.	निजी सचिव	1	15600–39100
8.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800
9.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	9300–34800
10.	लेखाकार	1	9300–34800
11.	हॉस्टल वार्डन	1	9300–34800
12	सहायक प्रोग्रामर	1	9300–34800
13.	वरिष्ठ लिपिक	1	9300–34800
14.	अवधाता	1	9300–34800
15.	कनिष्ठ लिपिक	7	5200–20200
16.	टेलिफोन ऑपरेटर	1	5200–20200
17.	इलेक्ट्रीशियन	1	5200–20200
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4750–7440
19.	फर्राश	4	4750–7440
20.	बुक अटेन्डेन्ट	2	4750–7440
21.	चौकीदार	2	4750–7440
	योग –	**41**	

एस.आई.आर.डी. मद

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	प्रोफेसर	2	37400–67000
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	2	15600–39100
3.	परि. निदे. एवं संयुक्त निदे.	1	15600–39100
4.	सहायक प्रोफेसर	2	15600–39100
5.	शीघ्र लिपिक	3	9300–34800
6.	वाहन चालक	2	5200–20200
	योग	**12**	

chih,y lsUll 2002

- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों, जिन्हें विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, का पता लगाने के लिये राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में बीपीएल जनगणना करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार अपनाई गई क्रियाविधि में गरीब परिवारों का निर्धारण करने के लिए पूर्व जनगणना में अपनाई गई आय अथवा व्यय पद्वति की बजाय 13 अंक आधारित सामाजिक–आर्थिक सूचकांकों को शामिल किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को बीपीएल परिवारों का निर्धारण इस तरह करना था जिससे कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल व्यक्तियों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बीपीएल व्यक्तियों की संख्या जैसा कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिए अनुमानित है अथवा योजना आयोग द्वारा संगठित समायोजित अंश अथवा इनमें से जो भी अधिक है से अधिक नहीं हो। अस्थायी गरीब लोगों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट की अनुमति दी गई।
- बीपीएल जनगणना 2002 के परिणामों को वर्ष 2003 में अंतिम रूप दिया जाना था किंतु पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा रिट याचिका संख्या 196 दायर करने के कारण बीपीएल सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उक्त रोक हटने के उपरान्त भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक क्यू. 21022/4/2003–एआई (आईडी) दिनांक 10.10.2005 के द्वारा बी.पी.एल. सेन्सस 2002 के माध्यम से सर्वे किये गये परिवारों में से बीपीएल परिवारों के चयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। तद्नुसार पुनः चयन की प्रक्रिया इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(11)ग्राविवि/4/2004 दिनांक 25.11.05 के द्वारा शुरू की गई।
- राज्य सरकार द्वारा अपीलों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में ग्राम सभा/वार्ड सभा से प्रोविजनल सूचियों के अनुमोदन उपरान्त द्विस्तरीय अपील का प्रावधान था, जिसमें प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती थी। वार्ड/ग्राम सभा से अनुमोदन एवं द्विस्तरीय अपील की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बीपीएल सूचियां तैयार की गई। बीपीएल परिवारों के चयन हेतु संख्या पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा 17.36 लाख निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार के स्तर से सर्वे में 0–52 तक अंक प्राप्त हुए उनका कट–ऑफ बिन्दु निर्धारित करते हुए उक्त परिवारों का चयन किया गया है। कट–ऑफ स्कोर गणना के आधार पर अंक 12 एवं 13 के बीच में आया है अर्थात 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त परिवार एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का चयन किया गया है।
- दिनांक 15.9.2006 को बीपीएल सूची (नामजद) प्रकाशित/जारी एवं प्रभावी की गई व बी.पी.एल. सूची वेबसाईट bpl2002raj.nic.in पर उपलब्ध है। इसे तुरन्त प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग की योजना हेतु लागू कर दिया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.2.2006 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से

हटाये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी, जिस हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित सूची अन्तिम नहीं है। अपील के प्रावधानों के अनुसार चयनित परिवारों की संख्या घट–बढ सकती है।

- बीपीएल सेन्सस सूची–2002 के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया विभागीय पत्र दिनांक 25.9.06 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को प्रेषित की गई।
- भारत सरकार द्वारा उल्लेखित परिवार से भिन्न व्यक्ति को चयन की समीक्षा करने व ग्राम स्तर पर 1997 की सूची से चयनित परिवारों में 30 प्रतिशत भिन्नता (कम/ज्यादा) पाये जाने पर स्वयमेव **(Suo Moto)** सर्वे कर अपील करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर्स को विभागीय पत्र दिनांक 3.10.2006 व 4.10.2006 से दिये गये। स्वयंमेव पूर्ण सर्वे व अपीलों के आधार पर सभी जिलों की सूची **bpl2002raj.nic.in** पर उपलब्ध है।
- बीपीएल सेन्सस–2002 की सूचियों के सम्बन्ध में अपील की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचियों के प्रभावी रहने तक सतत् जारी रहेगी ।

राज्य ग्रामीण बीपीएल सूची

- वर्ष 1997 में चयनित किन्तु बीपीएल सूची–2002 में चयन से वंचित परिवारों हेतु पृथक से राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची जारी की गई है। इस सूची में सम्मिलित परिवार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011)

- भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) करने का निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 24.06.2011 को जारी किये गये हैं। उक्त जनगणना के संबंध में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग भारत सरकार द्वारा दिया जावेगा। सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैः–

  1. घर–घर जाकर सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर पर पता लग जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगी।
  2. प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके।
  3. विभिन्न जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गो की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना।

- जनगणना में त्रि–स्तरीय प्रक्रिया द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों की पहचान किया जाना प्रस्तावित है। जनगणना कार्य को शीघ्र संपादित करने एवं त्रुटियों को न्यून करने के लिये उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुये पूर्णतः कम्प्यूटराइज किया गया है। जनगणना का कार्य पेपरलैस होगा एवं टेबलेट पी.सी. के माध्यम से किया जावेगा।
- राज्य में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 का कार्य 1 नवम्बर 2011 से प्रारम्भ होना था लेकिन भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (BEL) द्वारा टेबलेट पी.सी. एवं तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाने के कारण जनगणना की तिथियों में संशोधन कर दो फैज में करवाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम फैज में जिला स्तरीय दो चार्ज कार्यालयो का दिनांक 16.11.2011 से (एक ग्रामीण एवं एक शहरी) एवं द्वितीय फैज दिनांक में 12.12.2011 से 28.12.2011 के मध्य विभिन्न तिथियों को शेष सभी चार्ज कार्यालयों में जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनगणना का कार्य करवाया जा रहा है। फील्ड में डाटा कलेक्शन (प्रगणन एवं सुपरवाईजर कार्य) का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार आदिम जनजाति, विमुक्त बंधुआ मजदूर, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, जाति संबंधी सूचना एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के संबंध में सत्यापन की कार्यवाही की जानी है। तत्पश्चात् ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दावा एवं आपत्ति मांगी जानी है। राज्य में सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के मुख्य–मुख्य बिन्दु

1. जनगणना कार्य पेपरलेस एवं कम्प्यूटरीकृत होगा।
2. डाटा कलेक्शन हैण्डहैल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाइस (टेबलेट पी.सी.) द्वारा होगा।
3. पूर्व में जनगणना केवल बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु की गई। वर्तमान में जनगणना द्वारा समस्त परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की जानकरी जुटायी जायेगी।
4. जाति एवं धर्म के बारे में सूचनायें ली जायेगी।
5. सभी सूचनायें उत्तरदाता के जवाब पर आधारित होगी। (रेस्पोंडेन्ट बेस)
6. साक्ष्य नहीं मांगे जायेंगे।
7. सर्वेक्षण पश्चात् सूचनाऐं ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
8. योजना आयोग द्वारा राज्यवार 'केप' (बी.पी.एल. परिवारों की अधिकतम संख्या) दिया जायेगा जो कि वर्तमान तक निर्धारित नहीं की गई है।
9. उक्त जनगणना के द्वारा बीपीएल परिवारों के चयन हेतु परिवारों का वर्गीकरण त्रिस्तरीय किया जावेगा, जो निम्नानुसार हैः–

   प्रथम :– परिवारो का एक समूह स्वतः अलग हो जावेगा।

   द्वितीय :– परिवारों का एक समूह स्वतः शामिल हो जावेगा।

   तृतीय :– बाकी बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांकों का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रगति

- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 का कार्य राज्य में सभी जिलों में 28.12.2011 से प्रारम्भ कर 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर दिया गया है।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार आदिम जनजाति, विमुक्त बंधुआ मजदूर, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, जाति संबंधी सूचना एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार संबंधी सूचनाओं के संबंध में सत्यापन की कार्यवाही लगभग पूर्ण कर ली गई है।
- सत्यापन उपरान्त संशोधित सूचनाओं को भारत इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी (BEL) द्वारा अपलोड किया जा रहा है। इसके उपरान्त ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दावा आपत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

पंचायती राज

I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं एक दृष्टि में

1.	कुल जिला परिषदें	33
2.	कुल पंचायत समितियां	248
3.	कुल ग्राम पंचायतें	9,177
4.	औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति	37
5.	औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद्	8
6.	निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि	
I	**जिला प्रमुख**	**33**
II	**प्रधान**	**248**
III	**जिला परिषद् सदस्य**	**1014**
IV	**पंचायत समिति सदस्य**	**5279**
V	**सरपंच**	**9177**
VI	**वार्ड पंच**	**103052**

- उक्त कुल पंचायत समितियों के अतिरिक्त पं.स.ऋषभदेव पर मा0 न्यायालय का स्थगन है।

II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण

- पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में विभागीय आदेश 2610 दिनांक 31.8.2012 द्वारा प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारी के कुल 22790 नवीन पद सृजित किये गये है तथा जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- जिला परिषद/पंचायत समिति में क्रमशः 99 एवं 747 पंचायत प्रसार अधिकारियों के पद (कुल–846) सृजित किये गयें हैं। प्रत्येक जिला परिषद में एक एक सहायक सचिव के पद (कुल–33) सृजित किये गयें हैं इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति में एक एक सहायक सचिव के पद (कुल–249) सृजित किये गयें हैं । उक्त सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने हैं।
- जिला परिषदों के माध्यम से 41 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित कर प्रथम स्तर में 9529 एवं द्वितीय स्तर में 27788 कुल 37317 पदों पर पात्र अभियार्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। बीस हजार पदों हेतु तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विघालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, 2013 की सीधी भर्ती परीक्षा दिनांक 11.10.2013 को आयोजित की जा चुकी है।
- ग्राम सेवक पदेन सचिव को उनके बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए पूर्व में देय रूपये 500/– प्रतिमाह विशेष भत्ते की राशि को बढाया जाकर रूपये 1000/– प्रतिमाह एवं कैश हैंडलिंग भत्ता रूपये 150/– प्रतिमाह दिये

जाने की स्वीकृति जारी की गई। ग्राम सेवक पदेन सचिव को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिये जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिए रूपये 1500/– प्रतिमाह अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। उक्त भत्ता बिना अधिकतम समयावधि के लिये देय होगें।

- संविधान में 73वां संशोधन की पालना में मंत्रिमण्डल आज्ञा 154/2010 दिनांक 29.9.2010 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर तक की निधियां, गतिविधियॉ एवं स्टाफ (Funds, Functions & Functionaries) पूर्ण कटिबद्वता के साथ प्रभावी रूप से हस्तान्तरित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। समिति के निर्णयानुसार पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभागों की गतिविधियॉ, फण्ड्स फंक्शन्स एवं फंक्शनरीज हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये गये है।
- उक्त आदेशों के संदर्भ में हस्तान्तरित स्टाफ के नियन्त्रण हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सामान्य प्रशासनिक निर्देश दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 को जारी किये गये तथा इसी प्रकार हस्तान्तरित गतिविधियों से संबंधित विभागों द्वारा अपने कार्यकलापों, स्टाफ एवं बजट के संबंध में आदेश जारी किये गये है। जिनमें जिला स्तर के विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं अन्य दिशा–निर्देशों के संबंध में विस्तृत उल्लेख है। राज्य सरकार पंचायती राज विभाग एवं संबंधित विभागों के निर्देशों में हस्तान्तरित विभागों की समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है तथा यह व्यवस्था की गई है कि हस्तान्तरित विषयों के संबंध में पैतृक विभाग संबंधित विभागाध्यक्ष एवं सचिव स्तर के अधिकारी सीधे कोई निर्देश विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी नही करेंगें। सभी निर्देश, अपेाक्षित सूचना रिपोर्ट एवं पत्र व्यवहार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को सम्बोधित होगें। हस्तान्तरित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं कार्यालय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन माने जावेगें एवं विवाद की किसी भी स्थिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। हस्तान्तरित स्टाफ का संर्वग नियन्त्रण पैतृक विभागों द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार सी.सी.ए. नियम, अवकाश, दौरे व उपस्थिति, वार्षिक कार्य मूल्याकन आदि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तिया प्रदान करने की व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की गई है।
- विभिन्न विभागों की समितियां जो अब तक अधिकारियों की अध्यक्षता में थी उनको तीनों स्तरों तक गठित पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों में समाहित करने का निर्णय लिया गया।

1 पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु

- पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है।

2 ग्राम सभा के कृत्य

- पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–8 क. में ग्राम सभा और उसकी बैठेकें आयोजित किये जाने के प्रावधान है । राज्य में ग्राम संभाओं का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को नही किया जाकर इन निर्धारित तिथियों के 15 दिन के अन्दर अन्दर किये जाने का परिपत्र के माध्यम से प्रावधान किया गया है । उक्त ग्राम सभाऐं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयाजित की जाती है ।
- पंचायती राज अधिनियम की धारा–8 ड. में ग्राम सभा, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये निम्नलिखित कार्य करेगीः–
  - (क) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से पूर्विकता क्रम में, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिये जाने के पूर्व, अनुमोदन करना,
  - (ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की, उनकी अधिकारियों के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचाने गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता क्रम में पहचान या चयन,
  - (ग) संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया हैः–
  - (घ) कमजोर वर्गो को आंवटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना,
  - (ड) आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना,
  - (च) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना,
  - (छ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना,
  - (ज) किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और पंचायत के स्पष्टीकरण मांगना,
  - (झ) वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मो में से पूर्विकता क्रम में विकास संकर्मो की पहचान और अनुमोदन,
  - (ट) लधु जल निकायों की योजना और प्रबन्ध,
  - (ठ) गौण वन उपजों का प्रबन्ध,
  - (ड) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण,
  - (ढ) जनजाति उप–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों पर नियंत्रण,
  - (ण) ऐसी पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं के बारे में विचार और अनुमोदन, और

(त) ऐसी अन्य कृत्य जो विहित किये जायें ।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार :

- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 5 (6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर/10/1938 दिनांक 01.01.2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेंत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 लागू कर दिये गये है। इन नियमों के लागू होने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गये हैं:–

1 ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण (Acquisition of Land) का कार्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

2 उधार पर धन देने पर (Money Lending) पर पंचायत का नियन्त्रण रहेगा।

3 अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली (power of summary ejectment of trespassers) की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जावेंगी।

4 गौण वन उपज (Minor Forest Produce) पर ग्राम सभा का स्वामित्व रहेगा तथा इससे प्राप्त होने वाली आय पर भी उसका पूरा हक रहेगा।

5 गौण खनिजों (Minor Minerals) के संबंध में भी ग्राम सभा की सिफारिश ली जानी अनिवार्य होगी।

6 भत्ता नियन्त्रण (Intoxication Control) भी ग्राम सभा के पास रहेगा।

7 यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति विछिन्न करने की किसी संभावना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो सिवाय उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कारवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी ग्राम सभा को या शान्ति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।

III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण

- पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य की कार्य प्रणाली एवं पंचायती राज अधिनियम् व नियमों की जानकारी दिये जाने के लिये इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थापित है। इसके साथ ही ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है।

1–ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर)	15 अगस्त, 1960 से
2–पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूँगरपुर	03 फरवरी, 1994 से
3–पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	18 मई, 1996 से

4–माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2012–2013 की पालना में कोटा एवं बीकानेर में नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तथा नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर हेतु भूमि आवंटन के लिए पशपुालन विभाग, जयपुर एवं शिक्षा विभाग, बीकानेर से उनके विभाग की उपलब्ध भूमि आवंटन कराये जाने संबंधी प्रयास जारी है। भूमि आवंटन होने पर शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

- इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुख्य रूप से ग्राम सेवकों, कनिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों का अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय) चलाये जाते है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक आयोजित किये गये प्रशिक्षण शिविरों का विवरण निम्नानुसार है :–

1 माह अप्रेल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक ग्राम सेवकों के 06 प्रशिक्षण शिविर, पंचायत प्रसार अधिकारियों के 01 प्रशिक्षण शिविर, कनिष्ठ अभियन्ताओं के 03 प्रशिक्षण शिविर व कनिष्ठ लिपिकों के 02 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये है।

2 जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर 01 आयोजित किया गया।

3 सरकार के निर्देशानुसार इंदिरागांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी व जिला प्रमुख/प्रधान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

4 इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर पर प्रधान/सरपंच/एन.जी.ओ/मनोनीत सदस्य का आमुखीकरण प्रशिक्षण शिविर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी आयोजित करवाये गये।

IV जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत

- जिला परिषदों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/ परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु वर्ष 2013–14 में 50 लाख का प्रावधान है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011–12 के बजट भाषण की पालना में जिला परिषद प्रतापगढ़ व बांरा के नवीन कार्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु जिला परिषद बांरा के भवन निर्माण का कार्य माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण रोक दिया गया है। जिला परिषद प्रतापगढ के भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

V नवगठित 11 पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण

- राज्य में 12 नवीन पंचायत समितियों (उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति पर न्यायालय का स्थगन आदेश) का गठन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री

महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010–11 की पालना में नवगठित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु 550.00 लाख की राशि का प्रावधान कर सम्बन्धित पंचायत समितियों को राशि का आवंटन कर दिया गया है। जिससे 8 पंचायत समिति कार्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पंचायत समिति पीलीबंगा में मा0 न्यायालय के स्थगन के कारण अप्रारम्भ तथा शेष 2 में फिनीशिंग का कार्य प्रगति पर है।

VI जिला परिषदों परिसर में जन सुविधा भवनों का निर्माण

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 92(1) के अर्न्तगत समस्त जिला परिषद परिसरों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जन सुविधा भवनों के निर्माण हेतु प्रत्येक जन सुविधा भवन हेतु 67.60 लाख प्रति जन सुविधा केन्द्र के आधार पर कुल 2231 लाख के प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माह दिसम्बर 2013 तक 31 जिलो में जन सुविधा भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है। जिला अलवर में भूमि विवाद एवं जिला भीलवाडा में कार्य प्रगति पर है।

पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर की स्थापना

- माननीय मुख्य मंत्री महोदय के वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा संख्या 85 के अन्तर्गत समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर तथा 3000 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र के निर्माण कार्य स्वीकृत है। परियोजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसमें कार्य हेतु नाबार्ड से 95 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत राशि राज्यांश से है। ब्लॉक स्तर के प्रति इकाई 10 लाख तथा ग्राम पंचायत स्तर के कार्य के लिए 9 लाख की राशि उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2013 तक की प्रगति के अनुसार स्वीकृत ब्लॉक स्तरीय 248 किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलजे सेन्टर कार्यो मे से 70 कार्य पूर्ण, 149 कार्य प्रगति पर तथा 29 कार्य अप्रारम्भ है एवं ग्राम पंचायत स्तरीय स्वीकृत 3000 किसान सेवा केन्द सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र मे से 90 कार्य पूर्ण, 2277 कार्य प्रगति पर तथा 633 कार्य अप्रारम्भ है।
- 364 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में स्वीकृत किये गये है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र की तथा 25 प्रतिशत राज्यांश की होती है। योजनान्तर्गत स्वीकृत 364 कार्यो मे से दिसम्बर 2013 तक की प्रगति के अनुसार 349 कार्य प्रगति पर तथा 15 कार्य अप्रारम्भ है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भी 30 नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किये गये है। पंचायत भवन की नवीन अनुमानित लागत बारह लाख है।
- माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट भाषण वर्ष 2013–14 के बिन्दू संख्या 129 अनुसार ''गांवों का विकास सुनियोजित तरीके से हो सके, इस दृष्टि से प्रथम चरण में, 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 81 गांवों के विलेज मास्टर प्लान तैयार किये गये है। इन गांवों में मास्टर प्लान के अनुरूप, एक–एक करोड

रूपये की लागत के कार्य करवाया प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत, आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के मास्टर प्लान तैयार करवाये जायेंगे, जिसके लिए 10 करोड रूपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।'' की पालना में 81 गांवों के मास्टर प्लान के अनुरूप विकास कार्यों हेतु राशि रूपये 7741.52 लाख रूपये के 292 कार्यो की स्वीकृती जारी की जा चुकी है जिसमें से 103 कार्य प्रारम्भ हो चुके है।

VII विभागीय प्रकाशन

- पंचायती राज विभाग द्वारा 'राजस्थान विकास' पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन माह अगस्त, 1983 से नियमित किया जा रहा है। पत्रिका में पंचायती राज से सम्बन्धित आलेख, विभाग द्वारा समय–समय पर निकाले गये आदेशों, निदैश एवं अधिसूचनाएं, परिपत्रों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश की कहानी, कविता और लघु कथा प्रकाशित किये जाने का प्रावधान हैं। वर्तमान में नवीनतम अंक प्रक्रियाधीन है।

VIII जनप्रतिनिधियों की जाँच

- पंचायती राज संस्थाओ के जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध बकाया जाँच प्रकरणों में विभागीय स्तर पर 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल 269 प्रकरणों का निस्तारण विधिवत नियमों की पालना करते हुये निस्तारण किया गया, जिसमें पंचायती राज से जुडे जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध 48 प्रकरण में अयोग्य/ परिनिर्णय लेखबद्ध (निष्कर्ष अभिलिखित) करने की कार्यवाही तथा 176 प्रकरणों में प्रकरण समाप्ती की कार्यवाही की गई।
- आलौच्य अवधि में पंचायती राज से जुडे 21 जनप्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया। इसी अवधि में 24 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने/नहीं करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

IX वित्तीय प्रबंध

- पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यतया पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण तथा संस्थापन व्यय के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अभिशंषा के अनुसार अनुदान राशि का हस्तांतरण ग्रामीण विकास के कार्यो के लिये पंचायतीराज संस्थाओं में किया जाता है।
- 1.4.2013 से 31.12.2013 तक पंचायती राज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशियों का विवरण अग्रानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	1.4.2013 से 31.12.2013 तक			
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	योग
1	2515–पंचायती राज के कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु (जिला परिषद/पंचायत समिति)	312.77	–	–	**312.77**
2	2515–राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान	–	490.23	–	**490.23**
3	2515–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान	519.43	–	–	**519.43**
4	2515–पिछड़ा जिला विकास कोष (बी.आर.जी.एफ.)	–	51.01	–	**51.01**
5	2515– चुंगी के बदले अनुदान	1.97	–	–	**1.97**
6	2515–प्रशिक्षण केन्दों के लिए	1.48	–	–	**1.48**
7	2515–जिला आयोजना कार्यालयों का संस्थापन्न व्यय	8.36	0.82	–	**9.18**
8	2515–मुख्यालय के संस्थापन्न हेतु	21.78	15.59	–	**37.37**
9	2515–जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	–	–	–	–
10	2515– निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	–	–	–	–
11	2515– निर्बन्ध राशि योजना	–	–	–	–
12	2515– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	–	0.74	–	**0.74**
13	2515–पेयजल सप्लाई/हैण्ड पम्प संधारण एवं जनता दल योजना के कार्मिकों के वेतन भत्तें/मानदेय	43.00	–	–	**43.00**
14	4515– अन्य	45.40	29.68	–	**75.08**
15	2515–पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बन्ध कोष		388.77		**388.77**
16	2515–सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान		–		–
17	3604– पंचायती राज संस्थाओं के क्षतिपूर्ति तथा समुदेशन	–	3.94	–	3.94
18.	2515– मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास	–	230.56	–	**230.56**
19.	2515– जिला नवाचार कोष	–	–	–	–
	कुल योग	954.19	1211.34		**2165.53**

बजट 2013–14, एक दृष्टि में (बी.ई. 2013–14 के अनुसार)

(अ) कुल उपलब्ध राशि

(राशि करोड रूपयों में)

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	आयोजना–भिन्न	1436.33	38.56
2.	आयोजना	2288.27	61.44
3.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	0.00	0.00
	कुल योग	**3724.60**	**100.00**

(ब) प्रयोजन जिसके लिए राशि उपलब्ध होगी

	मद	राशि (करोड़ रूपयों में)	प्रतिशत
1.	संस्थापन हेतु	437.78	11.75
2.	योजनाओं की क्रियान्विति हेतु	3286.82	88.25
	कुल योग	**3724.60**	**100.00**

(स) संस्थाएं जिनके द्वारा राशि का उपयोग किया जावेगा

(राशि करोड़ रूपयों में)

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	जिला परिषद्	771.45	20.71
2.	पंचायत समिति	655.60	17.60
3.	ग्राम पंचायत	2275.69	61.11
4.	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र	1.78	0.04
5.	मुख्यालय व्यय	8.61	0.23
6.	जिला स्तर पर संस्थापन व्यय	11.47	0.31
	कुल योग	**3724.60**	**100.00**

(द) व्यय का माध्यम

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	कोष कार्यालय के माध्यम से	2568.01	68.95
2.	निजी निक्षेप खातों के माध्यम से	1156.59	31.05
	कुल योग	**3724.60**	**100.00**

1 अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच

- महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर हुये व्यय का अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है।
- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है जबकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा सभी जिला परिषदों, सभी पंचायत समितियों तथा कुछ चयनित ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में (यदि गबन आदि की सम्भावना हो) विशेष जाँच व अंकेक्षण भी कराया जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना का कार्य मुख्यालय द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों से समन्वय कर किया जाता है।

2 महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति

- महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों में 1.4.2013 से 31.12.2013 तक जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त कर 1597 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया। महालेखाकार के अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय से विभागीय प्रतिनिधि भिजवाकर आक्षेप निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित किये जा रहे

है। महालेखाकार के बकाया अंकेक्षण प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय आडिट कमेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है। अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ
1.4.2013 को शेष	23000
1.4.2013 से 31.12.2013 तक जुड़े	1256
1.4.2013 से 31.12.2013 तक निस्तारण	1597
01.01..2014 को शेष	22659

3 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति

- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 1.4.2013 से 31.12.2013 तक 1446 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया। आक्षेप निस्तारण हेतु जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिमाह कैम्प आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बकाया अंकेक्षण प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर विभागीय आडिट कमेटी की बैठक आयोजित की जाती है। अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	**जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ**
1.4.2013 को शेष	49507
1.4.2013 से 31.12.2013 तक जुड़े	2475
1.4.2013 से 31.12.2013 तक निस्तारण	1446
01.01..2014 को शेष	50536

X पंचायती राज की योजनायें

1 तेरहवां वित्त आयोग

प्रस्तावना

- तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2010–15 (5 वर्ष) है। राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का वर्ष 2011–12 से प्रावधान किया गया है।
- सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। विभाग द्वारा शर्तों की पालना कर ली गयी है तथा वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा उसकी पालना निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयुक्त खण्ड वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को पत्रांक 13(8)वित्त/एफ.सी.एण्ड.ई.एडी./2010 दिनांक 16.05.2011, एवं दिनांक 25.5.2011 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

उददे्श्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान से उपयोग से पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

    1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सृदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
    2. ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था ठोस अपशिष्ठ पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों, विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्ट्रीट लाईटों को सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराना।
    3. पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना।
    4. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से सम्बन्धित परिसम्पतियों का रख रखाव तथा समुचित संधारण करना।

कार्यकारी एजेन्सी

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत ही होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

राशि का अन्तरण

- पंचायती राज संस्थाओं हेतु 13 वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलों हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में तथा 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा। पंचायत समितियों को होने वाले अन्तरण की पंचायत समितिवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उक्तानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग ऐसी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा जिनमें जनसंख्या के

अनुपात में उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि उन ग्राम पंचायतों की पेयजल एवं स्वच्छता की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और 13 वे वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि/संसाधन की मांग ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद 13 वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को अतिरिक्त राशि/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। अतिरिक्त राशि/संसाधन का आवंटन करते समय जिला परिषद एवं पंचायत समितियां यह अवश्य ध्यान में रखेंगे कि उक्तानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त आवंटन से ग्राम पंचायतों में सामान्य तौर पर समानुपातिक विकास हो सके।

सम्पादित करवाये जाने वाले कार्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के लिए योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्य कराये जायेगेः–
  1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
  2. बावड़ियों, टांकों, कुओं, पनघट, हैंडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो सुदृढ़ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/संवर्धन/तथा खराब हैंण्डपम्पों का उचित संधारण कराना।
  3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुए, पानी की टंकियॉ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण/संस्थाओं/सामुदायिक/भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  6. पंचायत क्षेत्रों में गन्दे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।
  7. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
  8. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक, प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  9. पंचायत क्षेत्र में कूडें करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
  10. ग्रामीण जन को स्वच्छ पेयजल तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता की महत्ता संबंधी विषय पर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लघु–पुस्तिकाओं, पम्पलैट्स, आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की यथावश्यक व्यवस्था करना। स्ट्रीट लाईटों की सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराने की व्यवस्था करना।
  11. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
13. भूमिगत जलस्त्रोंतो से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जलसंग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
14. ऐसे अन्य कार्य जिनसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

प्रगति

- वर्ष 2013–14 में 998.05 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसमें से माह दिसम्बर 2013 तक सामान्य बुनियादी अनुदान राशि रूपये 307.71 करोड़, विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान राशि रूपये 1.71 करोड़ एवं सामान्य निष्पादन अनुदान राशि रूपये 210.01 करोड़ इस प्रकार कुल राशि 519.43 करोड़ विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये ।

2 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल राजस्थान के आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2011 (अधिसूचना सं. एफ–4(1)एफ.डी./एफ.सी.एण्ड ई.एडी./एस.एफ.सी./2009 दिनांक 13.4.2011) द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2011 तक देने की आज्ञा के साथ किया गया।
- वर्ष 2012–13 के लिए राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा जारी अन्तरिम रिपोर्ट द्वितीय के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 980.47 करोड़ रूपये के प्रावधान के विपरीत 980.47 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये। वर्ष 2013–14 में प्रावधित राशि 519.10 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसमें से वित्त विभाग की सहमति से दिसम्बर 2013 तक 490.24 करोड़ रूपये विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

3 रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन

- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आवंटित की जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित कमजोर वर्गों के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो, पात्र होंगेः–
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
- स्वच्छकारों व पिछड़े वर्गों के परिवार
- ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
- श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार

- विकलांग व्यक्ति
- गाडिया लुहार, यायावर (घुमक्कड) जनजातियों के परिवार
- ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ में बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं।
- सरहद पर पूर्व सैनिक
- पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क विवाहित पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से रहने की इच्छा रखता है, तो जिसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वयं का कोई आवासीय भूखण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भूखण्ड पाने का पात्र होगा।

निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन

- पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे (बी.पी.एल. में चयनित) परिवारों, घुमक्कड भेडपालकों के परिवारों को निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने की शक्तियां पंचायतों को दिये जाने हेतु नियम 158 में संशोधन के आदेश दिनांक 9.4.07 एवं 18.6.07 को जारी कर दिये गये है।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे, कब्जों के आधार पर जारी करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने नियम 157 में दिनांक 9.4.07 से संशोधन कर दिया गया है। गाँवों में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भू–खण्ड नहीं है लेकिन उन्होंने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झौंपड़ी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भू–खण्ड है और न ही कोई अन्य मकान है, उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निःशुल्क नियमित कर दिये जायेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओं के नाम से ही जारी किये जायेंगे।
- ग्राम पचांयतों द्वारा दिये जाने वाले भूखण्डो में से 30 प्रतिशत विधवा/निराश्रित महिलाओं को आवंटित करने बाबत नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर तक प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 की प्रगति सहित नियम 158 के तहत रियायती दर पर 51892 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 106697 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, नियम 157 के तहत 255801 पुराने भवनों के पट्टे एवं 20632 कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 435022 पट्टे जारी किये गये है।
- वित्तीय वर्ष 2011–2012 में माह दिसम्बर तक नियम 158 के तहत रियायती दर पर 10700 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 24710 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, नियम 157 के तहत 27112 पुराने भवनों के पट्टे एवं 13087 कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 75609 पट्टे जारी किये गये है।

- वित्तीय वर्ष 2012–2013 में प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 की प्रगति सहित नियम 158 के तहत रियायती दर पर 14846 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 92210 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, तथा नियम 157 के तहत 355163 पुराने भवनों के पट्टे /कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 462219 पट्टे जारी किये गये है।
- वित्तीय वर्ष 2013–2014 में माह दिसम्बर 2013 तक की प्रगति नियम 158 के तहत रियायती दर पर 7701 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 9216 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, नियम 157 के तहत 28965 पुराने भवनों के पट्टे एवं 7402 कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 53284 पट्टे जारी किये गये है।

4 पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) कार्यक्रम

- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ''पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)'' कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य के 13 जिलों यथा–सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरौही, बाड़मेर, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ चयनित है।

उद्देश्य

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित जिलों के पिछडेपन को दूर करने हेतु प्रमुखयता ढ़ॉचागत विकास एवं दक्षता निर्माण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करते हुये क्षेत्र का समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। कार्यक्रम के तहत विकास कोष मद एवं क्षमता निर्माण मद में राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रगति

- आलौच्य वर्ष 2013–14 में कार्यकारी संस्थाओं के पास विकास कोष मद के तहत उपलब्ध राशि 24644.50 लाख के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक 9854.14 लाख की राशि व्यय हो चुकी जो उपलब्ध राशि का 39.99 प्रतिशत हैं। योजनान्तर्गत 12764 कार्य करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 3416 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है तथा 8519 कार्य प्रगतिरत है।

5. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना (RGPSA)

- पंचायती राज मंत्रायलय,भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत पंचायती राज के सशक्तिकरण हेतु एक नवीन योजना "राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना (RGPSA)" का वर्ष 2012–13 से प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य

- पंचायत एवं ग्राम सभाओं के प्रभावी आवेदन/क्रियान्वयन व क्षमता निर्माण पर बल दिया जायेगा।

- पंचायत द्वारा बेहतर निर्णय क्षमता, जवाबदेही एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज के संस्थानिक ढ़ांचे को सुदृढ कर पंचायतों को क्षमता वर्धन व ज्ञान सृजन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राज्य के संवैधानिक पेसा (PESA) अधिनियम अन्तर्गत पंचायतों को उनके अधिकार व उत्तरदायित्व का अधिकाधिक हस्तान्तरण करना।
- राज्य के पेसा (PESA) क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करना।
- पंचायत के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना।

राशि आवंटन

- अभियान अन्तर्गत 75:25 अनुपात में राशि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया हैं।

वित्तीय प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1361.07 लाख व वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1544.93 लाख कुल 2906.00 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2013 तक 894.24 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं।

6 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

- यह योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। जिसमें 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजनान्तर्गत भवन रहित नवीन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार/जिर्णोद्धार के कार्य होते है। इस में 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/आवंटित की जाती है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में 364 भवन रहित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के नवीन निर्माण हेतु केन्द्रीय अंश की 27.29 करोड (11.42 करोड़ राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान एवं 15.87 करोड़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना) की राशि व राज्यांश की 5.31 करोड की राशि सम्बन्धित जिलों को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

7. पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि

- यह योजना बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की पालना में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने तथा इनके वित्तीय सशक्तिकरण करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना से विशेष निर्बंध राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि (untied fund to PRIs) के नाम से है।
- पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य के 33 जिलो हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त

की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में तथा 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा, जिसमें पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण 2001 की जनसंख्या के आधार पर हस्तान्तरित की गई है।

- योजना में सर्व प्रथम भवनों के अपूर्ण रहे कार्यो को, जल उपलब्धता तथा स्वच्छता सुविधाओं के कार्यो तत्पश्चात् अन्य कार्यो को कराने की प्राथमिकता दी गई है। योजना के दिशा निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी किये गये है।
- पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि योजना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 777.54 करोड का वित्तीय प्रावधान है जिसके विरूद्ध 388.77 करोड की राशि पंचायती राज संस्थाओं को माह दिसम्बर, 2013 तक हस्तान्तरित कर दी गई है। जिलों में उपलब्ध राशि 1434.45 करोड में से 631.26 करोड रूपये व्यय कर 24758 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।

8 नवाचार निधि योजना

- जिलों में विभिन्न पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ छोटे– छोटे मरम्मत कार्यो की आवश्यकता होने के फलस्वरूप अनुपयोगी रूप में पड़ी हुई है। इन सम्पत्तियों को अधिक उपयोगी अथवा कार्यशील बनाये जाने के लिये आवश्यक लधु निवेशों को उपलब्ध करवाने को दृष्टिगत रखते तेहरवें वित्त आयोग के तहत जिला नवाचार निधि का सृजन किया गया है।
- तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक जिले को 5 वर्ष की अवधि (2010–15) के लिए राशि रूपये 1 करोड़ उपलब्ध करवाई जावेगी। कार्य लागत की 10 प्रतिशत राशि सामान्य जन/स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त करनी होगी।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत प्रथम किस्त की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसे प्रति जिला 50.00 लाख रूपये की दर से रू. 1650.00 लाख की राशि जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके है। वर्ष 2013–14 में 1650.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राशि रूपये 1355.88 लाख अवशेष थी। राशि रूपये 19.39 लाख जन सहयोग एवं ब्याज से प्राप्त हुई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 1375.27 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 181.35 लाख का व्यय हुआ जो उपलब्ध राशि का 13.19 प्रतिशत है।

9 क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित समिति की करों के समनुदेशन (Assignment) के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राशि जारी किये जाने की सिफारिश की गई है। राज्य सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति

तथा समनुदेशन के रूप में 29486.00 लाख उपलब्ध कराये जाने का वित्तीय प्रावधान है।

- राजस्व के वास्तविक संकलित आंकड़े प्राप्त होने तक भू–राजस्व, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पैनल्टी, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पर पैनल्टी, भू–रूपान्तरण शुल्क व खान विभाग द्वारा अवैध खनन एवं खनिज क्षेत्र पर अतिक्रमण पर शास्ति की ग्राम पंचायतवार तथा खनिजों पर रॉयल्टी, पेट्रोलियम पर रॉयल्टी, देशी शराब व आई एम एफ एल की दुकानों से बिक्री से आय, स्टाम्प शुल्क पर अधिभार तथा माल के प्रवेश कर की मदों में प्रावधित राशि रूपये 29486.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

10 विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना

- योजना आयोग के निर्देशानुसार राज्य की वार्षिक योजनाओं में जिला योजनाओं को समाविष्ट किया जाना आवश्यक है। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना का निर्माण ग्राम/वार्ड स्तर से एक विस्तृत कार्ययोजना के तहत किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना एवं वार्षिक योजना 2014–15 का निर्माण भी इसी कार्ययोजना के तहत करवाया जा रहा है।
- वार्षिक जिला योजना 2014–15 के निर्माण हेतु राज्य के आयोजना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेक्टरवार आयोजना सीमा का जिलेवार वितरण किया जा रहा है। जिले को योजनान्तर्गत उपलब्ध होने वाली सीलिंग को दृष्टिगत रखते हुए जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम/वार्ड सभा से प्रस्ताव प्राप्त कर इन योजनाओं का निर्माण करवाया जावेगा। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर प्रकाशित करवाये जा रहे है।

11 पंचायत सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS)

Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme

- भारत सरकार द्वारा प्रारंभ पंचायतों के सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन की इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 के तहत राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 100.00 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। राज्य स्तर पर उक्त राशि का उपयोग बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया था।
- दिनांक 17.12.2012 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में 2 जिला परिषद, 3 पंचायत समिति एवं 10 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जा चुका है। पुरस्कार राशि का उपयोग संबंधित संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में किया गया है।
- योजना वर्ष 2012–13 के तहत इस योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के चयन के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से 3 जिला परिषद, 6 पंचायत समिति एवं 13 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया।
- वर्ष 2013–14 हेतु राज्य के समस्त जिलों से जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं के सत्यापन का कार्य संपादित किया जा रहा है, तद्परान्त वांछित प्रस्ताव भारत सरकार को यथा शीघ्र भिजवाये जावेगें।

12 निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान–पूर्व नाम)

पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ''निर्मल भारत अभियान'' कार्यक्रम समुदाय में जागरूकता एवं मांग आधारित है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन–सहन में सुधार लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज को गति प्रदान कर वर्ष 2017 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करना एवं राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल पंचायत के स्तर तक पहुंचाना, समुदाय को जागरूक करना एवं पंचायतीराज संस्थाओं के प्रोत्साहन से स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता की सुविधाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेष रही पाठशाला एवं आंगनबाड़ियों में समुचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना एवं विद्यार्थियों में साफ–सफाई की आदत डालना, स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना एवं समुदाय आधारित पर्यावरण अनुकूल ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तंत्र का विकास करना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम(पूर्व नाम) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इसे केवल 4 जिलों में ही शामिल किया गया था और वर्ष 2005–06 तक चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के समस्त जिलों में लागू किया गया।
- इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत में निवास करने वाले बी.पी.एल. एवं चिन्हित ए.पी. एल. परिवारों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन मजदूर,शारीरिक रूप से असक्षम और महिला मुखिया वाले परिवार) के लिए व्यक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु कुल 10,000 राशि का प्रावधान निम्नानुसार है–

क्र.सं.	विवरण	राशि का विवरण
1.	निर्मल भारत अभियान(केन्द्र एवं राज्य सरकार) की प्रोत्साहन राशि	4600 रूपये
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (20 अकुशल मजदूरी एवं 6 कुशल मजदूरी अधिकतम)	5400 रूपये संशोधित (4500 रूपये पूर्व में)
3.	लाभार्थी का अंश	0 संशोधित (900 रूपये पूर्व में)

- एकल शौचालय पाठशाला में अतिरिक्त शौचालय इकाई बालिकाओं के लिए एवं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों (ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर) में शौचालय निर्माण के लिए रूपये 35000/– का स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है।
- आंगनवाड़ी में बालमित्र शौचालय निर्माण के लिए रूपये 8000/– का प्रावधान है। 5000 रूपये की अतिरिक्त राशि एन.आर.एच.एम (अनटाइड फंड ग्राम पंचायत)/टी.एफ.सी/एस.एफ.सी/निर्बन्ध मद में ग्राम पंचायतों को सीधे ही प्राप्त होने वाली राशि से वहन किया जा सकता है।
- सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख का प्रावधान है, जिसमें 10 प्रतिशत सहयोग राशि समुदाय द्वारा/ग्राम पंचायत की निजी संसाधन

से उपलब्ध करानी होगी तथा सामुदायिक शौचालय बनने के उपरान्त ग्राम पंचायत/ट्रस्ट आदि द्वारा रख–रखाव एवं पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अंडरटेकिंग दिए जाने के उपरान्त जिला स्तर से स्वीकृति जारी कराने हेतु आदेश जारी किए गए है।

- प्रस्तावित ग्राम पंचायतें यदि 70 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त होने पर (ODF) एवं पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु पंचायत में निवास करने वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 150/300/500/500 से अधिक होने के आधार पर ग्राम पंचायतों को क्रमशः 7 लाख/12 लाख /15 लाख /20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ((1.) बायोडिग्रेडेबल कचरे का निष्पादन हेतु कम्पोस्ट पिट, बर्मी कम्पोस्ट हेतु वर्मी टैंक, बायोगैस प्लांट, शौचालय से लिंक बायोगैस प्लांट (2.) नान बायोडिग्रेडेबल कचरे का निष्पादन हेतु लैंडफिल (3.) धूसर जल प्रबंधन हेतु लिच पिट,किचन गार्डन,सोख्ता गड्ढा, पौधारोपण,सोकवे चैनल (4.) कचरा पात्र (5.) विरल/स्केटर्ड आबादी वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत/सामुदायिक सोख्ता गड्ढा/हैंड पम्प पर सोख्ता गड्ढा मय पशुखेल (6.) घनी आबादी क्षेत्र/गांव के पहुंच मार्ग के किसी अमुख स्थान पर रास्ते पर गंदा पानी भरने की वजह वाले स्थानों से आवागमन में कठिनाई महसूस किए जाने की स्थिति में ड्रेनेज सिस्टम(नाली v आकार वाले/u आकार) मय खरंजा (इन्टरलोकिंग/लाल ईंट खरंजा/सीसी रोड/पट्टी पठार/कातला खरंजा) आदि।)
- जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है, जिसके कलक्टर, सहअध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य सचिव है।
- परियोजना के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जिला स्तर पर जिला सहयोग इकाई का गठन किया गया है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक कार्डीनेटर अनुबंध पर कार्यरत है जो ब्लॉक की चिन्हित ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता की गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सहयोग कर रहे है।
- जन समुदाय को प्रेरित करने वाले स्थानीय प्रेरकों के सहयोग से लक्षित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है ।
- क्षमता संवर्द्धन हेतु राज्य/जिला स्तर पर रिसोर्स ग्रुप चिन्हित एवं उन्हे प्रशिक्षित कर सभी जिलों की चिन्हित एनजीपी हेतु पंचायतों में राज्य/जिला स्तर (SRG/DRG) संदर्भ व्यक्तियों 3 दिवसीय संबंधित पंचायत में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता गतिविधियों (CLTS Approach) का क्रियान्वयन कर निगरानी समितियों का गठन कर संबंधित ग्राम पंचायत को शर्मसार यात्रा (Walk of Shame) के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त करने हेतु अधिकतम 2 माह का दृढ निश्चय (Commitment) लिया जाकर अभियान के रूप में शौचालय एवं अन्य गतिविधियां क्रियान्वित कर खुले में शौच मुक्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 5 वर्ष में राज्य को खुले में शौच मुक्त किया जा सके।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु उठाए गए कदम

- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिसम्बर 2010 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- राज्य स्तर पर स्वच्छता के गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Apex Comittee एवं अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता मे कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
- स्वच्छता के विषय को मुख्य कार्यकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी/ए.ई.एन नरेगा जिला परिषद एवं पंचायत समिति की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में रेटिंग प्वाइंट के आधार पर दर्ज किया गया है एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (मनरेगा)/ग्राम रोजगार सहायक/ब्लाक/जिला समन्वयकों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध आकलन कर रिन्युवल किए जाने का प्रावधान किया गया हैं।
- कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला,ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मानव संसाधन विकास एवं सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण की प्रभावी गतिविधियों के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर सी.सी.डी.यू.(स्वच्छता) का गठन किया गया है।
- वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत 487 ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम लक्ष्य अर्जित करने की गतिविधियां संचालित की जा रही है। ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर (5000 तक 2, 5000 – 10000 तक 3 प्रेरक तथा 10000 से अधिक होने पर 4 प्रेरक) उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
- चिन्हित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रेरकों @ 3500 रूपये प्रति माह जॉब बेसिस के आधार पर रखने का प्रावधान है, जो घर से घर सम्पर्क कर लोगों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रेरित करते है। प्रेरकों को मानदेय का भुगतान माह मे न्यूनतम 30 शौचालय निर्मित कराने के उपरान्त ही भुगतान दिये जाने हेतु ग्राम पंचायतों को (IEC Head) निर्देशित किया गया है।
- गांवों में जन जागरूकता के द्वारा व्यक्तिगत घरों में शौचालय निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित करवाने पर आशा कार्यकर्ता/वार्डपंच/अन्य इच्छुक व्यक्तियों को रूपये 75/प्रति शौचालय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
- चिन्हित ग्राम पंचायतों को 5 लाख रू. अथवा स्वीकृत शौचालयों (Saturation Approach) का 25 प्रतिशत जो भी कम हो जिला परिषदों द्वारा सीधे ही ग्राम पंचायतों द्वारा खुल वाये गये पृथक खातों में ई बैंकिग के माध्यम से रिवाल्विंग फंड के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है ताकि शौचालय निर्माण के उपरान्त निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत अनुमत 4600 रू. (पारितोषिक) ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्णता रिर्पोट का सत्यापन रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत/ग्राम सेवक से 7 दिवस की अवधि में पूर्णता एवं उपयोगिता की रिपोर्ट प्राप्त कर लाभार्थी के खाते में अथवा चेक के माध्यम से राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- महानरेगा योजनान्तर्गत ऐसे निर्मित शौचालयों की मस्टरोल रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत/ग्राम सेवक के माध्यम से पंचायत समिति से प्राप्त कर लाभार्थियों के शौचालय पूर्णता उपरान्त मस्टरोल एकत्रित कर पंचायत समिति में जमा करवाने तथा तकनीकी सहायक से नरेगा श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य मूल्यांकन (सिर्फ श्रम राशि) कर बिना माप पुस्तिका भरे सरलीकृत उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है ताकि लाभार्थियों को शौचालय आदि हेतु ज्यादा मस्टरोल आदि लेने मे परेशानी नहीं होने पावे। इस हेतु 50/– रूपये रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत/ग्राम सेवक एवं 25/–रूपये कनिष्ठ तकनीकी सहायक (मनरेगा) हेतु प्रति शौचालय हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है ताकि नरेगा कन्वर्जेन्स प्रभावी हो सके।

प्रगति

भौतिक प्रगति

- योजनान्तर्गत बेस लाईन सर्वे के आधार पर राज्य में 115 लाख परिवारो में से 32 लाख परिवारों के शौचालय है जिसमें से एनबीए योजनान्तर्गत 12 लाख परिवारों की स्वीकृति जारी की गई है जिसका नरेगा से कन्वर्जेन्स किया गया है। स्वीकृतियों के विरूद्ध 2.34 लाख शौचालयों का निर्माण माह जनवरी तक हुआ है।
- राज्य में सरकारी भवनों एवं सरकारी परिसरों में संचालित आंगनबाडी 34 हजार में से 16 हजार आंगनबाडी शौचालय गत वित्तीय वर्ष में निर्मित हो गये थे। शेष शौचालय 18 हजार के विरूद्ध 10,600 स्वीकृतियां जारी कर 5,858 शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ब्लॉक 248 एवं ग्राम पंचायत 9177 कुल 9425 में से 2592 शौचालय पूर्व से ही निर्मित उपरान्त अवशेष रहे राजीव गांधी शौचालय निर्माण 6833 के विरूद्ध 2641 स्वीकृतियां जारी की गई है। जिसमें से 589 शौचालयों का कार्य पूर्ण हो गया है।
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति शाला भवनों में पृथक–पृथक बालक–बालिकाओं हेतु शौचालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शत प्रतिशत इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया गया है।
- उक्तानुसार व्यक्तिगत की प्रगति में इन्दिरा आवास योजना व मुख्यमंत्री बी.पी. एल. आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत 9.16 लाख के विरूद्ध 5.13 लाख स्वीकृत शौचालयों में से 57 हजार शौचालय निर्मित किये गये है जिसकी प्रगति भी सम्मिलित है।

वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

प्रारम्भिक अवशेष (नकद एवं अग्रिम)	इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त	कुल	व्यय	अवशेष	
				नगद	अग्रिम
272.21	0 (केन्द्र सरकार को प्रस्ताव फरवरी माह में प्रेषित किया जा रहा है।)	272.21	53.15	96.30	125.64

13 निर्मल ग्राम पुरस्कार

- निर्मल भारत अभियान के समस्त घटकों पर कार्य पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन अंकों के आधार पर किया जाता है।
- राष्ट्रपति महोदया के द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार के रूप में ट्राफी, प्रशस्ति पत्र एवं जनसंख्या के आधार पर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार राशि

मापदण्ड/राशि	ग्राम पंचायत				
जनगणना–2011 के अनुसार जनसंख्या	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	1000 से अधिक
पुरस्कार राशि(लाख रू. में)	1.0	2.0	4.0	8.0	10.0

- पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले सभी परिवार के घरों में यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति कनेक्शनों के द्वारा पानी की व्यवस्था है तो उस पंचायत को एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत अतिरिक्त पुरस्कार राशि का प्रावधान :–

मापदण्ड/राशि	ग्राम पंचायत				
जनगणना–2011 के अनुसार जनसंख्या	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	1000 से अधिक
पुरस्कार राशि(लाख रू. में)	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0

- राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को अलग से पुरस्कार राशि का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को अलग से पुरस्कार प्रदान किए जाते है।
- अब तक राज्य से कुल 321 ग्राम पंचायतें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है उक्त पुरस्कृत पंचायतों में से वर्ष 2011 में 13 जिलों से 32 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में चिन्हित 445 पंचायतों में से 333 ग्राम पंचायतों को अन्तर जिला सत्यापन दल द्वारा सत्यापित किया गया है। जिसका भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा 25 प्रतिशत रेन्डमली निरीक्षण कर सफल पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायत इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक घोषित किया जावेगा।
- राज्य सरकार के द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को एक लाख रूपये का अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वैसी पंचायत समितियां जिससे 10 से अधिक ग्राम पंचायते निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत होती है, तो वैसी पंचायत समितियों को राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख एवं 30 से अधिक पुरस्कार ग्राम पंचायतों वाली जिला परिषद को 10 लाख रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

14 जनता जल योजना

- जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाएं है जिनको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरान्त संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/एन.जी.ओ./ग्राम पंचायतों को सुपूर्द की जाती है। इन

योजनाओं के संचालन व संधारण के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के परिपत्र के अनुसार जनता जल योजना के संधारण में पम्प संचालन/संधारण/अंशकालिक श्रमिकों के भुगतान हेतु देय अनुदान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

- इन योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा एवं आगुमेंटेशन कार्य जैसे नया नलकूप निर्माण जल योजना में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जनता जल योजनाओं पर निम्न प्रकार अनुदान/मानदेय देय हैः–

1 जल स्त्रोतों पर विद्युत बिलों का भुगतान अर्थात पूर्ण विद्युत खर्च।

2 माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों की पालना में जनता जल योजनाओ में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिको (पम्पचालक) को पम्प संचालन के लिए वर्तमान में देय पारिश्रमिक 1000/– प्रतिमाह प्रति स्त्रोत के स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन दिनांक 1 फरवरी 2013 से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रूपये 83 प्रतिदिन (अधिकतम 26 दिवस) के आधार पर पारिश्रमिक राशि रूपये 2158 प्रति स्त्रोत का भुगतान किया जा रहा है।

3 पम्प मरम्मत के संदर्भ में सबमर्सिबल पम्प के लिए 400/– रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिवर्ष एवं मोनो ब्लॉक पम्प के लिए 1000/– रूपये प्रतिसेट प्रतिवर्ष मरम्मत के लिए।

- श्रीगंगानगर जिले के हैडवर्क्स जो कि नाहर से जल प्राप्त कर फिल्टर कर गांवों को जल उपलब्ध करवाते है। श्रीगंगानगर जिले के इन हैडवर्क्स एवं गांवों में लगे हुए अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालक) को पम्प संचालन के लिए प्रति ग्राम प्रतिमाह के आधार पर मानदेय दिया जाता है।
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 31 जिलों (बीकानेर एवं जैसलमेर को छोड़कर) में कुल 6514 जनता जल योजनाएं संचालित है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 से जनता जल योजनाओं के संचालन के क्रम में पूर्ण विद्युत खर्च, अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालक) को मानदेय तथा संधारण हेतु देय अनुदान राशि विभागीय बजट मद 2515 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही है।
- जनता जल योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 (दिसम्बर 2013 तक) में निम्नानुसार राशि उपलब्ध करायी जा चुकी हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष 2013–14 में आवंटित कुल राशि (दिसम्बर 2013 तक)
1.	मजदूरी	1530.88
2.	विद्युत प्रभार	1998.61
	योग	3529.49

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
(मिड–डे मील कार्यक्रम)

परिचय

- मिड–डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में समस्त राजकीय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) के अन्तर्गत संचालित संस्थानों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनिकरण, नामांकन में वृद्धि एवं बच्चों का शाला में ठहराव सुनिश्चित करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

- कक्षा 1 से 8 तक कुल 80,344 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 69.69 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 49.02 लाख तथा कक्षा 6–8 तक 20.67 लाख छात्र सम्मिलित है।
- प्रारम्भ में कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सरकारी एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कर रहे सभी छात्र–छात्राओं का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था परन्तु अक्टूबर परन्तु अक्टूबर, 2007 में भारत सरकार द्वारा मिड–डे मील कार्यक्रम का विस्तार कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के लिए कर दिया गया।
- यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत समितियों में पदस्थापित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की है। विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शाला प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) की है।
- राज्य सरकार द्वारा सूखा ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सहायता

- भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा भोजन पकाने की लागत में दिनांक 22.03.2013 के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के जुलाई माह से लागू कुकिंग कन्वर्जन की दरें 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि किए जाने के निर्देश प्रदत्त हुए है। राज्य सरकार के निर्णय उपरान्त अब कक्षा 1 से 5 के प्रतिछात्र प्रतिदिन के लिए राशि रूपये 3. 34 (पूर्व राशि रूपये 3.11) कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिछात्र प्रतिदिन के लिए राशि रूपये 5.00 (पूर्व राशि रूपये 4.65) तक वृद्धि की जा चुकी है जो कि दिनांक 1 जुलाई, 2013 से प्रभावी है।

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रसोईघर निर्माण, खाना पकाने/बनाने/वितरण एवं भोजन ग्रहण करने के बर्तन एवं रसोई उपकरण क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार गत तीन वर्षों के कुल प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मद	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14*
1	खाद्यान का आवंटन क्विं.	14,23,430	14,18,410	13,63,224.30
2	खाद्यान का उठाव क्विं.	13,82,460	12,54,439	8,42,004.10
3	खाद्यान का उपयोग क्विं.	14,22,070	12,59,555	6,69,108.90
4	वित्तीय प्रावधान–कुल अ. केन्द्रीय मद ब. राज्य मद	75,900 लाख 60,000 लाख 15,900 लाख	78,100 लाख 60,000 लाख 18,100 लाख	75,000 लाख 60,000 लाख 15,000 लाख

*** प्रगति माह दिसम्बर, 2013**

कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु मूलभूत आवश्यकताएं

- राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे है। विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का सारांश निम्नानुसार है :–

क.सं.	सुविधा	प्रगति
1.	किचन सुविधा	अधिकांश विद्यालयों में उक्त सुविधाओं को पूर्ण कराने के प्रयास जारी हैं।
2.	बर्तन सुविधा	
3.	गैस सुविधा	

कार्यक्रम अन्तर्गत भोजन व्यवस्था

- कार्यक्रम अन्तर्गत उपस्थित छात्रों को दिनवार दिये जाने वाले भोजन का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	वार	भोजन का विवरण
1	**सोमवार**	रोटी – सब्जी
2	**मंगलवार**	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	**बुधवार**	रोटी – दाल
4	**गुरूवार**	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	**शुक्रवार**	रोटी – दाल
6	**शनिवार**	रोटी – सब्जी
1. सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। 2. पूर्व की भांति सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।		
1. सप्ताह में दिये जाने वाले व्यंजनों का विवरण, प्रत्येक व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण विद्यालय के सूचना पट्ट पर दर्शाने का प्रावधान है।		

- भोजन पकाने का कार्य विद्यालयों में स्थित रसोईघर अथवा केन्द्रीय रसोईधर के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय रसोईघर का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय रसोईघर संचालित हैं:–

क्र.सं	जिला	संस्था का नाम	स्थान	विद्यालयों की संख्या	नामांकन
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	क्यू. आर. जी. फाउण्डेशन	एम.आई.ए. (अलवर)	374	30788
2.	जयपुर	अक्षय पात्र फाउण्डेशन	जगतपुरा (जयपुर)	1425	112770
3.		इस्कॉन	दुर्गापुरा (जयपुर)	172	9925
4.	जोधपुर	अदम्य चेतना ट्रस्ट	उमेद क्लब के पास(जोधपुर)	282	26645
5.		अक्षय पात्र फाउण्डेशन	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र(जोधपुर)	148	11931
6.	राजसमन्द	अक्षय पात्र फाउण्डेशन	नाथद्वारा (राजसमन्द)	424	27944
कुल जिले–4		6 केन्द्रीयकृत रसोईघर		2825	220003

- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों में मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में इन समितियों द्वारा लगभग 2102 विद्यालयों में 1.88 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है।

जन सहभागिता बढ़ाने के प्रयास

- जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''मिड–डे–मील ट्रस्ट, राजस्थान'' का पंजीयन करवाया गया है।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, भोजन की गुणवत्ता में और वृद्धि करने एवं स्थानीय जन सुमदाय को जोड़ने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। गैर सरकारी संस्थाओं आदि के चयन का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान है।
- कई औद्याोगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रसोईघर का निर्माण एवं अन्य सुविधा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया

- केन्द्र सरकार द्वारा राशि का हस्तान्तरण सीधे ही राज्य कोष में किया जाता है।
- वर्ष के बजट प्रावधानों, जिलों के नामांकन, आवंटन शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा जिलों को राशि हस्तांतरित करने के आदेश जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा राशि का हस्तांतरण जिला परिषदों के पी.डी. खाते में किया जाता है।
- जिला परिषद द्वारा जिले की पंचायत समितियों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में राशि का हस्तान्तरण संबंधित संस्था को किया जाता है।

- पंचायत समिति/स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक विद्यालयों की शाला प्रबंध समिति अथवा केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक को सीधे ही राशि का हस्तान्तरण किये जाने का प्रावधान है।
- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में मिड–डे–मील कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए राशि ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विगत 5 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास

- कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते रहे हैं जैसे भोजन पकाने की राशि एवं रसोईघर निर्माण मद में प्रति इकाई राशि में वृद्धि तथा भोजन पकाने के लिए कुक कम हेल्पर के नियोजन इत्यादि। इन दिशा–निर्देशों को सम्पूर्ण राज्य में विधिवत रूप से लागू कर दिया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के 1 जुलाई, 2013 से भोजन पकाने हेतु देय सहायता में (कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट) 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- पूर्व में भारत सरकार से शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं अधिक कार्य दिवसों के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था। विभाग द्वारा 65 व 75 प्रतिशत औसतन उपस्थिति मानते हुए खाद्यान्न का आवंटन करवाना प्रारम्भ किया गया।
- मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु राज्य एवं जिला, खण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जिसमें राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की दो बार बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में की जा चुकी है (प्रथम दि. 21.05.2012 एवं द्वितीय दि. 08.04.2013) तथा जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन समितियों में जिले का सांसद, जिले से दो विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधि सदस्य है।
- कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के निर्धारित मापदण्ड तय किये गये है एवं प्रत्येक तिमाही के पश्चात् सघन निरीक्षण भी करवाए जा रहे है जिससे पोषाहार पकाने एवं वितरण में निगरानी रखी जा सके।
- विभिन्न जन प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु भी विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये हुए है।
- 29,815 विद्यालयों में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 11.92 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में अभी तक कुल 76977 रसोईघर स्वीकृत किए गए है। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक राज्य के सभी विद्यालयों में पक्का रसोईघर निर्माण का प्रयास किया जावेगा।
- प्रत्येक विद्यालय में खाना बनाने, वितरण करने एवं खाने के पर्याप्त बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

- मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जिलों को समीक्षात्मक नोट लिखे जा रहे है। शिक्षा विभाग को नियमित रूप से प्रगति से सूचित किया जाता है।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों द्वारा दिये गये सुझावों अथवा कार्यक्रम में पायी गयी कमियों पर त्वरित गति से अमल किया जाता है।
- खाद्यान्न के परिवहन हेतु स्वतंत्र परिवहन संस्था को नियुक्त किया गया (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मामलात विभाग)।
- कई बाहरी एवं स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु मूल्यांकन एवं अध्ययन करवाया जाता है।
- जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु दिनांक 14 जनवरी, 06 को विस्तृत पोलिस जारी की गई। पी.पी.पी के तहत वर्तमान में स्वयंसेवी संस्था के द्वारा 6 स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित है जिनसे 2825 विद्यालयों में 2.20 लाख विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त मिड डे मील से लाभान्वित किया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों में मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में इन समितियों द्वारा लगभग 2102 विद्यालयों में 1.88 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों में मिड–डे–मील कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1 दिसम्बर, 2011 से किया जा रहा है। वर्तमान में इन मदरसों की संख्या 2974 है।
- प्रत्येक विद्यालय में भोजन पकाने के लिए स्थानीय लोगों को कुक कम हेल्पर के रूप में सेवाएं देने के लिए नियोजित किया गया जिसमें प्रति व्यक्ति 1000/– प्रतिमाह का मानदेय निर्धारित किया गया। इस प्रकार लगभग 1.17 लाख व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य के लिए लिया जा रहा है। इस कार्य में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, विधवा एवं परित्यक्तता को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जा रहा है।
- वर्तमान में मिड डे मील कार्यक्रम का Master Data ऑन लाईन करने के लिए भारत सरकार द्वारा MIS (Management Information System) Portal विकसित किया गया है। यह ऑन लाईन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित करवाई जा रही है जिससे जिला/खण्ड/विद्यालय स्तर का सम्पूर्ण Master Data & Monthly Data ऑन लाईन किया जा रहा है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन की उचित समीक्षा करने एवं नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा Interactive Voice Response System (IVRS) तकनीकी को लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा एक साथ लागू की जानी है तथा इसके लिए राशि प्राप्त होने पर इस व्यवस्था को राज्य भर में क्रियान्वित किया जावेगा।
- एल.पी.जी. सिलेण्डर्स की दरों एवं श्रेणी में बदलाव के कारण राज्य सरकार अपनी ओर से अन्तर राशि का पुनर्भरण करेगी। यद्यपि गैस सिलेण्डर का व्यय कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की राशि में से ही होता है। अतः यह अतिरिक्त भार केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 75 : 25 में ही वहन करने हेतु भारत सरकार

को निवेदन किया गया था जिस पर भारत सरकार द्वारा सहमति दी जा चुकी है।

- बारां जिले के सहरिया बाहुल्य किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉक्स में आदिवासी छात्रों हेतु मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न की मात्रा दिनांक 1 जनवरी, 2013 से दोगुनी करने हेतु जिले को निर्देश जारी किए जा चुके है। इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा कथौड़ी समग्र विकास योजनान्तर्गत लिए गए निर्णयानुसार उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाडोल एवं गोगुन्दा ब्लॉक्स में आने वाले छात्रों हेतु मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न की मात्रा दिनांक 1 जुलाई, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक दोगुनी करने हेतु जिले को निर्देश जारी किए जा चुके है। इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जावेगा।
- मिड डे मील योजनान्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के प्रशिक्षण हेतु एक कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु लगभग 200 कुक कम हेल्पर्स का नामांकन भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।
- मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत कुक कम हेल्पर्स के प्रशिक्षण के संबंध में एक अन्य कार्यक्रम ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT)'' राज्य सरकार द्वारा जनवरी–फरवरी, 2014 में आयोजित किया जाने वाला है।
- राज्य सरकार के तत्वाधान में 13 सितम्बर, 2013 को शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। न्यूट्रिशनल विशेषज्ञ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, होटल प्रबन्ध संस्थान, यूनिसेफ, विभिन्न एनजीओ जैसे अक्षय पात्र, नान्दी फाउण्डेशन, गेन, आईआईएचएमआर आदि के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
- MIS (Management Information System) Portal में मिड डे मील कार्यक्रम का Master Data ऑन लाईन करने के लिए दिनांक 3 एवं 4 अक्टूबर, 2013 को सभी जिलों के मिड डे मील प्रभारियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को एक दिवसीय प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में दिया गया था।
- भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य में मक्का एवं बाजरा को मिड डे मील योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- मा. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2013 को राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक में एवं भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त रिव्यू मिशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार राज्य में मिड डे मील योजनान्तर्गत दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की एक लेबोरेट्री (Laboratory) जांच स्थानीय होम साईस एवं एनजीओ की सहायता से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।
- मा. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2013 को राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक में एवं भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त रिव्यू मिशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार राज्य में मिड डे मील योजना की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय रिव्यू मिशन का गठन किया जा चुका है जिसके द्वारा राज्य में मिड डे मील की समीक्षा हेतु वर्ष में छः माह के अंतराल में दो जिलों का दौरा किया जावेगा।

- जिला प्रशासन द्वारा 3 जिले (भीलवाड़ा, झालावाड़ तथा अजमेर) में स्थित कुल 3 नान्दी फाउण्डेशन संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघरों के भोजन वितरण कार्य में प्राप्त शिकायतों के संबंध में क्रियान्वयन बंद करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के माध्यम से भोजन पकाने के निर्देश क्रमशः दिनांक 1 जुलाई, 2013 (भीलवाड़ा एवं झालावाड़) तथा 1 सितम्बर, 2013 (अजमेर– किशनगढ़) से जारी कर दिए गए। इसके बाद नान्दी फाउण्डेशन संस्था के मैनेजमेन्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2013 से संस्था द्वारा राजस्थान राज्य में मिड डे मील कार्यक्रम बन्द कर दिया है। इसी के अनुरूप नान्दी फाउण्डेशन ने राजस्थान में 5 जिलों (अजमेर (तोपदड़ा) बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर–3) में स्थित कुल 7 केन्द्रीयकृत रसोईघरों से मिड–डे मील कार्यक्रम दिनांक 30.11.2013 से बंद कर दिया है। जिलों (चित्तौडगढ़–5 एवं कोटा–1 कुल 7 केन्द्रीयकृत रसोईघरों से) में दिनांक 31.12.2013 से नान्दी फाउण्डेशन द्वारा मिड डे मील का कार्य बन्द कर दिया गया है। नान्दी फाउण्डेशन द्वारा मिड डे मील कार्यक्रम राज्य में बन्द कर दिये जाने पर कार्यक्रम विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के माध्यम से चालू किया गया है।

जलग्रहण विकास कार्यक्रम

क्रियान्वित योजनाएं

- जलग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। इनका योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

1. राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना

- राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र की परियोजना (एन.डब्लयू.डी.पी.आर.ए.) कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मैको मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की इस स्कीम को बन्द करने के कारण 31 मार्च 2013 से समाप्त कर दी गई है।

2. ग्रामीण विकास योजनाएं(भू–संसाधन)

- ग्रामीण विकास की योजनाएं– ग्रामीण विकास की योजनाएं यथा– मरू विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) के भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 को समाप्त कर दी गई है।

3. बीहड़ सुधार कार्यक्रम (आर.आर.पी.)

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2013–14 माँग संख्या 143 के अन्तर्गत चंबल की बीहड़ भूमियों को समतल कर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने, डॉग क्षेत्र के विकास के साथ साथ डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने एवं क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के पाँच जिलों में बीहड़ सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। इन जिलों में भूमि का चयन जिले के जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है भूमि के चयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य (हैक्टेयर)	चयनित भूमि (हैक्टेयर)
1.	कोटा	50.00	40.00
2.	बून्दी	50.00	20.00
3.	धौलपुर	50.00	25.00
4.	करौली	50.00	00.00
5.	सवाईमाधोपुर	50.00	00.00

- भूमि के चयन के पश्चात चयनित भूमि का भौगोलिक सर्वेक्षण किया जावेगा एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर इसके अनुमोदन के पश्चात बीहड़ सुधार कार्यक्रम के परियोजना क्षेत्र में कार्य करवाये जावेगें।

- चयनित भूमि के सर्वेक्षण कार्य करने हेतु कार्यकारी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है। करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों के जिला कलक्टर को भूमि के चयन शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4 एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

- भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु समान दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो पूरे देश में दिनांक 1.4.2008 से लागू किये गये हैं। अब भू–संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली सभी जलग्रहण परियोजनाऐं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस नये कार्यक्रम यथा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही स्वीकृत की जायेगी।

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90 : 10 रखा गया है। नॉन डी.डी.पी. ब्लॉक्स के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 12000/– एवं डी.डी.पी. ब्लॉक्स के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 15000/– तय की गई है।

- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	स्वीकृत वर्ष	जिले	पंचायत समितियां	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षेत्रफल (लाख है.)	स्वीकृत राशि (करोड़)
1	2009–10	32	128	162	8.85	1241.03
2	2010–11	32	149	213	12.57	1746.48
3	2011–12	30	148	229	13.01	1819.99
4	2012–13	30	125	145	7.88	1051.58
	कुल			**749**	**42.31**	**5859.08**

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2009–10 की समस्त 162 परियोजनाओं, वर्ष 2010–11 की 213 परियोजनाओं एवं वर्ष 2011–12 की 229 परियोजनाओं में डी.पी.आर. अनुमोदित करा कर कार्य प्रारम्भ हो गये है। वर्ष 2012–13 की 145 परियोजनाओं में प्रारम्भिक चरण के कार्य जैसे डी.पी.आर. तैयार, जलग्रहण समिति का गठन, जलग्रहण विकास दल का नियोजन, प्रवेश बिन्दु गतिविधि, क्षमता निर्माण करना एवं जलग्रहण विकास कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2013 (दिनांक 10.01.2014 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर) 229.11 करोड़ व्यय किये जा चुके है।